केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–441)

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	**i - viii**
प्रथम	अध्ययन संरचना	1–8
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	9–21
तृतीय	अध्ययन निष्कर्ष	22–56
	परिशिष्ट – **I**	57
	परिशिष्ट – **II**	58

*****

उद्‌बोधन

सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1993 में प्रति सांसद अपने क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप राशि 5.00 लाख रूपये के स्थायी प्रकृति के विकास कार्य ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से स्वीकृत कराये जाने की घोषणा की गयी। वर्ष 1998–99 से योजनान्तर्गत राशि बढ़ाकर प्रति सांसद 2.00 करोड़ रूपये के प्रावधान स्वीकृत किये गये हैं। यह योजना शत–प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत/क्रियान्वित कराये जाते हैं।

योजना के तहत करवाये गये कार्यों की आवश्यकता, उपयोगिता ज्ञात करने हेतु कार्यकारी विभाग की पहल पर मूल्यांकन करवाया गया। मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्ष इंगित करते हैं कि योजना के तहत सड़क, सामुदायिक भवन, शाला कक्ष, चारदीवारी, पेयजल आदि परिसम्पत्तियों के निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एवं उपयोगी पाये गये तथा स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहन देने में सहायक रहे हैं। योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर कार्यकारी वर्ग को अनुभूत कठिनाइयों की विवेचना करते हुए प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रतिवेदन में यथा स्थान सारगर्भित एवं प्रासंगिक सुझाव दिये गये हैं।

मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवेदन विभाग के लिए उपयोगी रहेगा।

माह – , 2010
स्थान– जयपुर

(देवेन्द्र भूषण गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव
आयोजना विभाग

आमुख

लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से जनता को अपेक्षा होती है कि वे अपने क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं के समाधान के साथ ही क्षेत्र के विकास कार्यों में भी अपना योगदान देवें। जनता की इसी मूल भावना को साकार रूप देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की वर्ष 1993 में घोषणा की गई। इस योजना के तहत सांसद द्वारा स्थानीय आवश्यकता के स्थायी प्रकृति वाले प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन जिला कलक्टर के माध्यम से करवाया जाता है।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार योजना के तहत करवाये गये विकासीय कार्यों की महत्ता, उपयोगिता एवं क्रियान्वयन पक्ष पर प्रस्तुत प्रतिवेदन सैम्पल आधार पर राज्य के चार जिलों क्रमशः बांसवाड़ा, अलवर, सवाईमाधोपुर एवं जोधपुर की आठ पंचायत समितियों के 69 चयनित कार्यों का चयन कर किया गया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यकारी विभागों की प्रलेख सूचनाओं, कार्यकारी अधिकारियों से विमर्श एवं कार्यों के भौतिक सत्यापन के आधार पर सम्पादित किया गया है।

अध्ययन निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि योजना के तहत करवाये गये कार्यों का चयन प्राथमिकता के आधार पर जन आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ है। योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों से ग्राम में उपलब्ध चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा, पशु स्वास्थ्य आदि सेवाओं में सुधार तथा विस्तार हुआ है। योजना के क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाइयों का प्रतिवेदन में यथास्थान उल्लेख करते हुए प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यावहारिक सुझाव दिये गये हैं।

मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवेदन कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी साबित होगा।

दिनांक : 25 मार्च, 2010
स्थान : जयपुर।

(देवानन्द)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

"सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम" का मूल्यांकन अध्ययन

निष्पादक संक्षेप

I **प्रस्तावना** :

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1993 में की गई। वर्ष 1994 में कार्यक्रम में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यक्रम की क्रियान्विति भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के माध्यम से करवाना निर्धारित किया गया। योजना के प्रारम्भ में स्थायी प्रवृत्ति वाले कार्यों हेतु प्रति सांसद 5.00 लाख रूपये के कार्य करवाने हेतु फण्ड आवंटित किया जाता था जो वर्ष 1998–99 में बढ़ाकर 2.00 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष कर दिया गया। सांसद अपने क्षेत्र में करवाये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में जिला कलक्टर को भिजवाते हैं। जिनका क्रियान्वयन जिला कलक्टर द्वारा नोडल एजेन्सी/पंचायती राज/स्थानीय स्वायत्तशासी निकाय/जिला परिषद/रेपूटेड़ गैर सरकारी संस्था के माध्यम से करवाया जाता है।

II **योजना के उद्धेश्य** :

(i) स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप राजकीय/पंचायती राज संस्था/स्थानीय स्वायत्तशासी निकाय के स्वामित्व की जन उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण कराना।

(ii) स्थायी प्रकृति वाले कार्य जैसे सड़क निर्माण, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य आदि से संबंधित जन उपयोगी कार्य करवाना।

(iii) क्षेत्रीय विकास में असन्तुलन को दूर करना।

(iv) क्षेत्रीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहन देना।

III **योजना की मुख्य–मुख्य विशेषताएँ एवं व्यवस्थाऐं** :

(i) यह योजना राज्य के सभी क्षेत्रों में लागू है तथा कार्यक्रम के संचालन हेतु जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल संस्था है।

(ii) योजना के तहत स्थायी प्रवृत्ति वाले कार्य करवाये जाने का प्रावधान है तथा सांसद द्वारा प्रस्तावित कार्यों के प्राप्त होने की दिनांक से यथासम्भव 45 दिनों के अन्दर प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की व्यवस्था की गई है।

(iii) योजनान्तर्गत निधियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिये क्रमशः कम से कम 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की लागत के कार्यों की अभिशंषा करने का प्रावधान है।

(iv) देश के किसी भी भाग में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, चक्रवात, सुनामी भूकम्प, तूफान, अकाल आदि की स्थिति में अपने कोटे से 10.00 लाख रूपये तक की राशि के कार्यों की अभिशंषा मार्गदर्शिका में अनुमत कार्यों हेतु की जा सकती है। विकराल प्राकृतिक आपदा आने एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने पर सांसद प्रभावित क्षेत्रों हेतु सांसदों द्वारा 50.00 लाख रूपये के कार्यों की अभिशंषा की जा सकती है।

(v) अपने निर्वाचित क्षेत्र को छोडकर अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र में शिक्षा एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार पर एक वित्तीय वर्ष में 10.00 लाख रूपये तक की अभिशंषा एक सांसद द्वारा की जा सकती है। बशर्ते कार्य मार्गदर्शिका में प्रतिबन्धित नहीं है।

(vi) योजनान्तर्गत निर्मित करायी जाने वाली परिसम्पत्तियों के रख–रखाव और अनुरक्षण की व्यवस्था संबंधित लाभार्थी संस्था की होती है।

(vii) योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष प्रति सांसद 2.00 करोड़ रूपये की राशि केन्द्र सरकार द्वारा जिला नोडल एजेन्सी को जारी की जाती है। राशि दो समान किश्तों में भिजवाये जाने का प्रावधान है।

IV मूल्यांकन की आवश्यकता :

योजनान्तर्गत कार्य की महत्ता, उपयोगिता, निर्माण कार्यों की आवश्यकता एवं योजना के प्रभावों का आंकलन करवाने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त योजना का मूल्यांकन किया गया।

V अध्ययन के उद्धेश्य :

1. योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा।

2. योजनान्तर्गत हुए कार्यों की गुणवत्ता, आवश्यकता एवं उपयोगिता का आकलन।

3. चयनित कार्यों में आवंटित राशि की उपलब्धता, पर्याप्तता, प्रक्रिया, समयावधि आदि का आकलन।

4. योजना के तहत् निर्मित कार्यों से उपलब्ध रोजगार की समीक्षा करना।

5. क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाईयाँ ज्ञात करना एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

VI **न्यादर्श चयन** :

अध्ययन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श प्रणाली का उपयोग करते हुए सर्वप्रथम सभी जिलों की वर्ष 2005–06 से 07–08 तक व्यय राशि घटते हुए क्रम में बनायी गयी एवं सामान्य न्यादर्श चयन प्रणाली का उपयोग करते हुए चार जिले क्रमशः बांसवाड़ा, अलवर, सवाईमाधोपुर एवं जोधपुर का चयन किया गया।

द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से सर्वाधिक व्यय(2005–06 से 2007–08 तक) वाली दो पंचायत समितियों का चयन किया गया। प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से 2 ग्राम पंचायतों का उपरोक्तानुसार चयन किया गया। चयनित ग्राम पंचायत में संदर्भित अवधि में हुए कार्यों की सूची बनाकर सभी प्रकार के कार्यों में से एक–एक कार्य का चयन किया गया। चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत से पाँच कार्यों का चयन किया गया।

अन्तिम स्तर पर प्रत्येक चयनित कार्य का उपयोग करने वाले लाभार्थियों से चर्चा कर समूह अवलोकन अनुसूची भरी गई। चयनित प्रत्येक कार्य के 3–3 लाभार्थी श्रमिकों का चयन कर अनुसूचियाँ भरी गई।

VII **संदर्भ अवधि** :

अध्ययन से संबंधित प्रलेख सूचना कार्यक्रम के प्रारम्भ 2005–06 से लेकर 2007–08 तक एकत्रित की गयी। अधिकारी/गैर अधिकारी एवं लाभार्थी के विचार सर्वे अवधि से सम्बन्धित हैं।

VIII **अध्ययन परिवेश** :

अध्ययन हेतु चयनित 4 जिलों से प्रति जिला 2–2 पंचायत समितियों एवं प्रति पंचायत समिति 2–2 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। चयनित ग्राम पंचायतों से 69 कार्यों का चयन कर 45 लाभार्थी समूह अनुसूची भरी गई तथा क्षेत्रीय कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पी.आर.ए. तकनीक के आधार पर विस्तृत विमर्श एवं अवलोकन टिप्पण के आधार पर कार्यक्रम के प्रभाव/क्रियान्विति पर विचार एकत्रित कर प्रस्तुत प्रतिवेदन तैयार किया गया।

IX राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय वित्तीय एवं भौतिक प्रगति :

योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर 01.04.05 को 5232.32 लाख रूपये की राशि अवशेष स्वरूप उपलब्ध पायी गयी। वर्ष 2005–06 में 7100.00 लाख रूपये, 2006–07 में 6131.19 लाख रूपये एवं 2007–08 में 7700.00 लाख रूपये की राशि आवंटित की गयी। इस प्रकार संदर्भित अवधि में कुल 26213.51 लाख रूपये की राशि के विपरीत 22582.34 लाख (86.15 प्रतिशत) राशि व्यय की गयी। राज्य स्तर से प्राप्त सूचनानुसार चयनित जिलों क्रमशः अलवर, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा एवं अलवर में 1.4.05 को 1164. 93 लाख रूपये अवशेष के उपलब्ध थे। वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक तीन वर्षों में 3131.19 लाख रूपये योजनान्तर्गत आवंटित किये गये। इस प्रकार संदर्भित अवधि में 4296.12 लाख रूपये में से 3043.88 लाख रूपये व्यय हुए जो कुल उपलब्ध राशि का 70.85 प्रतिशत था।

वर्ष 2005–06 में 1.4.05 को चयनित जिलों में 652 कार्य अपूर्ण थे तथा संदर्भित वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक 1810 कार्य स्वीकृत हुए इस प्रकार कुल 2462 कार्य किये जाने हेतु उपलब्ध थे जिनमें से 1932 (78.47 प्रतिशत) कार्य रूपये 3043.88 लाख रूपये व्यय कर पूर्ण करवाये गये। 530 कार्य अपूर्ण रहे। विभाग को नवीन कार्य स्वीकृति से पूर्व पुराने कार्य पूर्ण करवाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

X राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय सूचनाओं में विभेद :

मूल्यांकन अध्ययन हेतु संकलित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचनाओं की समीक्षा करने से स्पष्ट होता है कि राज्य एवं जिला स्तर से संकलित सूचनाओं से अन्तर पाया गया। अतः राज्य स्तरीय सूचना को ही आधार माना गया। विभाग को जिला स्तर से प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा कर तदनुसार ही इकजाही सूचना तैयार करनी चाहिए जिससे राज्य स्तर एवं जिला स्तर की सूचनाओं में एकरूपता रहे।

XI एम. पी. लेड योजनान्तर्गत चयनित कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं सर्वे परिणाम :

योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक करवाये गये कार्यों की उपयोगिता एवं गुणवत्ता का आंकलन करने हेतु कुल 69 कार्यों का चयन कर भौतिक सत्यापन किया गया जिनमें सर्वे तिथी को 64 कार्य पूर्ण पाये गये। चयनित 69 कार्यों हेतु 162.11 लाख रूपये स्वीकृत एवं 156.00(96.23 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि व्यय हुई। कुल 1897 श्रमिकों का नियोजन हुआ जिनमें 422 महिलाएँ एवं 1475 पुरूष पाये गये। नियोजित श्रमिकों में 1269 ए.पी.एल. एवं 628 बी.पी.एल. वर्ग के श्रमिक थे। कार्य पूर्ण होने की अवधि 40 से 120 दिन पायी गयी। कुल स्वीकृत 69 कार्यों में से 60 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी पाये गये। प्रमुख कार्यों का भौतिक सत्यापन/वस्तुस्थिति इस प्रकार है :–

(1) **सड़क निर्माण** :

चयनित 69 कार्यों में सर्वाधिक 19 कार्य सड़क निर्माण संबंधी थे। जिनमें 12 कार्य अलवर, 1 कार्य बांसवाड़ा, 5 जोधपुर एवं 1 कार्य सवाईमाधोपुर जिले में स्वीकृत हुए। जिनमें सर्वे तिथि तक 18 कार्य पूर्ण तथा 1 कार्य अपूर्ण पाया गया। चयनित 19 कार्यों पर कुल 43.79 लाख रूपये स्वीकृत हुए जिनमें से 40.92 (93.4 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय हुए। सर्वे दिनांक को चयनित 19 कार्यों में से 16 कार्यों की स्थिति सन्तोषजनक पाई गई। अलवर जिले के बहरोड़ में स्वीकृत 2 कार्यों का निर्माण साधारण स्तर का था। बहरोड़ के ही एक चयनित स्थल ग्राम खौरी में सड़क निर्माण कार्य अपूर्ण पाया गया। इस सड़क निर्माण का प्रकरण भूमि विवाद के कारण तहसीलदार के यहाँ विचाराधीन था। कुल 19 सड़कों में से 18 सड़कों का उपयोग होना पाया गया। निर्माण कार्य में मुख्यतः निर्माण के पश्चात् रखरखाव की कमी, सड़कों का अतिक्रमण, चयन स्थल के संबंध में भूमि विवाद, ग्राम पंचायत द्वारा रखरखाव में लापरवाही आदि कइिनाईयाँ पाई गई। विभाग को निर्माण के पश्चात् रखरखाव की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए।

(2) **सामुदायिक भवन** :

योजनान्तर्गत चयनित 69 कार्यों में 13 कार्य सामुदायिक भवन निर्माण संबंधी कार्य चयनित हुए थे। जिनमें अलवर में 1, बांसवाड़ा में 5, जोधपुर में 5 तथा सवाईमाधोपुर जिले में 2 सामुदायिक भवन निर्माण कार्य स्वीकृत हुए। चयनित 13 भवनों में सर्वे तिथी को 11 भवन पूर्ण एवं 2 भवन अपूर्ण पाये गये। उक्त चयनित सामुदायिक केन्द्रों हेतु कुल 45.08 लाख रूपये स्वीकृत हुए थे। जिसमें से 44.51 (98.74 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय हुए। चयनित 13 सामुदायिक केन्द्रों में से 11 कार्यों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका था। सर्वेक्षण दल के अवलोकनानुसार 13 में से 8 सामुदायिक भवन का कार्य पूर्ण उपयुक्त एवं उपयोगी था। तीन स्थलों पर कमियाँ अनुभव की गई एक स्थान पर भवन में दरवाजे नहीं लगने से भवन की सुरक्षा पुख्ता नहीं थी। एक स्थान पर ठेकेदार द्वारा बी.एस.आर. रेट कम होने से कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया तथा अन्य एक स्थल चकेरी सवाईमाधोपुर पर साईड़ में दीवार नहीं होने के कारण धूप व वर्षा से बचाव नहीं होना पाया गया। विभाग को इन कार्यस्थलों पर अपेक्षित कार्य शीघ्र पूर्ण करवाकर भवनों की उपयोगिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

(3) **कक्ष/बरामदा निर्माण** :

चयनित 69 कार्यों में 13 कार्य कमरा/बरामदा निर्माण संबंधी थे। इनमें 8 सवाईमाधोपुर में, 4 जोधपुर में एवं 1 कमरा अलवर जिले में बनवाया गया था। उक्त कार्यों में से 12 विद्यालयों एवं 1 पशु चिकित्सालय में कमरा/ निर्माण संबंधित था। चयनित 13 कार्यों हेतु कुल 33.80 लाख रूपये स्वीकृत हुए। जिसके विपरीत 33.05(97.78 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय होना पाया गया। कमरे निर्माण कार्यों में कुल 341 श्रमिकों का नियोजन हुआ जिनमें 287 पुरूष एवं 54 महिलाएँ थी। नियोजित श्रमिकों में 38 बी.पी.एल. एवं 303 ए.पी.एल. वर्ग के थे। योजनान्तर्गत 13 कार्यों में से 10 को उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी हो चुके थे, एक कार्य अपूर्ण था। सर्वे तिथि को चयनित 13 में से 12 विद्यालयों में करवाये गये कमरो का उपयोग हो रहा था एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि हुई। मूल्यांकन दल के सर्वेक्षणानुसार चयनित 13 में से 7 निर्मित कार्यों का निर्माण अच्छा पाया गया। 5 साधारण स्तर के थे तथा 1 अपूर्ण पाया गया।

(4) **पेयजल सुविधा हेतु पी एल आर टंकी, पाईपलाइन आदि का निर्माण** :

योजनान्तर्गत चयनित 69 कार्यों में से 9 पेयजल संबंधी कार्य स्वीकृत किये गये जो क्रमशः अलवर में 1, बांसवाड़ा में 3, जोधपुर में 4 एवं सवाईमाधोपुर में 1 कार्य स्वीकृत किया गया। जिनमें 3 सार्वजनिक कुएं, 4 सार्वजनिक टांके, 1 टंकी एवं 1 कुएं को गहरा करवाने का कार्य किया गया। चयनित 9 कार्यों में 8 कार्यों का चयन सही पाया गया। 1 कार्य गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर) का कुएं गहरा करवाने का कार्य सही नहीं पाया गया। चयनित कार्यों हेतु 7.12 लाख रूपये स्वीकृत हुए एवं 6.98 लाख (98.03 प्रतिशत) व्यय किये गये। सर्वेक्षण दल के अनुसार कुएं को गहरा करवाना, सार्वजनिक संस्थान की सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायतों को जिम्मेदार बनाने, अतिक्रमण करने वालों को दण्डित करने एवं कुओं पर प्लास्टर करवाने के सुझाव प्राप्त हुए।

(5) **चारदीवारी** :

चयनित 69 कार्यों में 10 कार्य चारदीवारी निर्माण यथा 4 कार्य अलवर में, 1 बांसवाड़ा में, 2 जोधपुर में एवं 3 सवाईमाधोपुर में स्वीकृत हुए। चयनित 10 चारदीवारी में 4 चारदीवारियाँ श्मशान घाट पर, 2 विद्यालयों की, 2 खेल मैदान की एवं 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 सार्वजनिक सभा भवन हेतु स्वीकृत थी। चयनित 10 कार्यों के लिए कुल 19.456 लाख रूपये स्वीकृत हुए। जिनमें 17.67 (90.8 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय हुए। उक्त 10 में से 9 कार्यों को उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी कर दिये गये तथा 1 कार्य अपूर्ण पाया गया। मूल्यांकन सर्वेक्षण दल के अनुसार उक्त कार्यों संबंधी जो कठिनाईयाँ अनुभूत की गई वे राशि समय पर प्राप्त नहीं होना, पर्याप्त राशि का नहीं होना, अतिक्रमण, कार्य हेतु उपयुक्त स्थल का चयन आदि कठिनाईयाँ पाई गई। प्रशासन द्वारा इस और ध्यान दिया जाकर कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।

(6) **उप स्वास्थ्य केन्द्र/नाली/पुलिया** :

योजनान्तर्गत चयनित 69 कार्यों में 5 कार्य स्वीकृत किये गये। जिनमें 3 उप स्वास्थ्य केन्द्र सवाईमाधोपुर जिले, नाली निर्माण बांसवाड़ा 1 कार्य तथा 1 कार्य पुलिया निर्माण कार्य अलवर जिले में करवाया गया। उक्त चयनित निर्माण कार्यों पर कुल 12.87 लाख रूपये स्वीकृत हुए जिसके विपरीत 12.87 (100 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये तथा सर्वे तिथि तक 4 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी हो चुके थे। चयनित पाँचों कार्यों का सर्वे तिथि को उपयोग हो रहा था एवं निर्माण कार्य का स्तर सन्तोषजनक पाया गया। भवनों का स्तर सन्तोषप्रद पाया गया। नाली पक्की बनी हुई थी एवं पुलिया निर्माण कार्य अवलोकन में अच्छा पाया गया।

मूल्यांकन दल के अवलोकन के अनुसार निर्माण कार्यों में अनुभूत कठिनाईयाँ में स्वीकृत राशि समय पर प्राप्त नहीं होना, निर्मित परिसम्पत्तियों के रखरखाव में लापरवाही, स्वीकृति के अनुसार निर्माण कार्य नहीं होना, भवन सुरक्षा के इन्तजाम नहीं होना, असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण आदि मुख्य–मुख्य कठिनाईयाँ पाई गई। विभाग द्वारा समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

XII **कार्यों की उपयोगिता** :

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत निर्मित चयनित 69 कार्यों में से 19 सड़क निर्माण कार्यों में से 18 का उपभोग ग्रामवासियों के आवागमन हेतु हो रहा था। 13 सामुदायिक केन्द्रों में 11 का उपयोग स्थानीय जनता, सामाजिक कार्यों यथा शादी विवाह, ग्रामसभा मीटिंग, शिविर कार्य हेतु उपयोग में लाया जाता है। 13 बरामदा कक्ष निर्माण कार्यों में 12 का उपयोग हो रहा था तथा विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं में वद्धि हुई। ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 9 पेयजल संबंधी कार्य करवाये गये। 10 चारदीवारी कार्यों में से 9 कार्य पूर्ण होने से परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी तथा भूमि के अतिक्रमण से बचाव हुआ है। चयनित कार्यों में से 5 कार्य उप स्वास्थ्य केन्द्र/नाली/पुलिया के कार्य स्वीकृत थे। जिनमें 3 कार्य उप स्वास्थ्य केन्द्र के जिससे केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था हुई है। इनकी भूमि का अतिक्रमण से बचाव हुआ है। इसके अलावा 1–1 कार्य नाली/पुलिया से ग्रामीणों को सुविधा मिली है।

XIII **कठिनाईयाँ एवं सुझाव** :

योजनान्तर्गत निर्मित सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, चारदीवारी निर्माण, पेयजल व्यवस्था, उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन/नाली/पुलिया निर्माण आदि कार्यों के रखरखाव की पुख्ता व्यवस्था के अभाव में जीर्णशीर्ण/टूटफूट हो जाती है, सड़कों में गढ़ढ़े हो जाते हैं, सामुदायिक भवन, विद्यालयों, श्मशान गृहों की चारदीवारी टूटफूट हो जाती है। यथासमय मरम्मत के अभाव में टूटफूट और ज्यादा बढ जाती है। समय रहते

इसकी मरम्मत की पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए। अतिक्रमणों को रोकने हेतु प्रशासन द्वारा ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए। स्वीकृत राशि देर से प्राप्त होना आदि योजनान्तर्गत कठिनाईयाँ दृष्टिगोचर हुई है। अतः स्वीकृत राशि समय पर जारी की जानी चाहिए। ग्राम स्तर पर एक सतर्कता समिति बनाई जाकर कार्यों की देखरेख को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष :

चयनित कार्यों के भौतिक सत्यापन, मूल्यांकन दल के सर्वे, चयनित श्रमिकों से भरी अनुसूचियों से प्राप्त सूचना, जन प्रतिनिधियों के अभिमतानुसार योजना के तहत् करवाये गये अधिकांश कार्य उपयोगी पाये गये। कार्यों के निर्माण से ग्राम में उपलब्ध चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा, पशु स्वास्थ्य आदि सेवाओं के स्तर में सुधार हुआ था। सड़कों के निर्माण से आवागमन की सुविधा में वृद्धि हुई थी। संक्षेप में योजना के तहत करवाये गये आवश्यकता के अनुरूप जन उपयोगी एवं उपयुक्त पाये गये। अपवादस्वरूप चयनित 69 कार्यों में 5 कार्य सर्वे तिथि को अपूर्ण पाये गये। जिनमें स्थान विवादित होना, अतिक्रमण होना आदि कारण पाये गये। दो स्थानों पर एक तरफ चारदीवारी नहीं होने से बनी हुई चारदीवारी का उपयोग प्रासंगिक नहीं रह गया था। सड़कों, श्मशान घाट पर अतिक्रमण, सामुदायिक भवन दरवाजे नहीं लगे होना आदि की कठिनाई पायी गयी। परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण के पश्चात् संबंधित विभाग एवं ग्राम पंचायत द्वारा सम्पत्तियों के संधारण की पुख्ता व्यवस्था की जाना, स्वीकृत कार्यों पर व्यय राशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाना, सम्पत्ति सृजन के पश्चात् रखरखाव हेतु बजट की व्यवस्था निर्धारित कर करवाये गये कार्यों की उपयोगिता को अक्षुण बनाये रखना प्रासंगिक होगा।

———

अध्याय प्रथम

अध्ययन संरचना

1.0 **प्रस्तावना–**

1.1 लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से जनता को अपेक्षा होती है कि वे अपने क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं के समाधान के साथ ही क्षेत्र के विकास कार्यों में भी अपना योगदान देवें। इसी अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की। एम.पी. लैड कार्यक्रम की क्रियान्विति ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से करवाने के प्रावधान किये गये लेकिन वर्ष 1994 से इसमें आंशिक संशोधन करते हुए कार्यक्रम की क्रियान्विति भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के माध्यम से करवाना निर्धारित किया गया। इस योजना के तहत् सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप स्थायी प्रवृत्ति वाले कार्य जैसे सड़क निर्माण, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य आदि से संबंधित कार्य करवाने के प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भिजवा सकते हैं। योजना के प्रारम्भ में प्रति सांसद 5.00 लाख रूपये के कार्य करवाने हेतु फण्ड आवंटित किया जाता था। वर्ष 1998–99 से प्रति सांसद 2.00 करोड़ रूपये की राशि प्रतिवर्ष इस योजना के तहत् आवंटित की जाती है।

1.2.0 **वित्त पोषण** :

1.2.1 यह योजना शत् प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना है। कार्यक्रम के तहत् केन्द्र सरकार के सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन विभाग द्वारा जिला स्तर पर अधिकृत अधिकारी को सांसद कोष की राशि आवंटित की जाती है। सांसद अपने क्षेत्र में करवाये जाने वाले कार्य के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर जिला कलेक्टर को भिजवाते हैं। जिलाधिकारी द्वारा कार्यों का क्रियान्वयन नोडल एजेन्सी/पंचायती राज/स्थानीय स्वायत्तशासी निकाय/जिला परिषद रेपूटेड गैर सरकारी संस्था से करवाया जा सकता है।

1.3.0 **कार्यक्षेत्र** :

1.3.1 राज्य के 25 लोकसभा एवं 11 राज्य सभा सदस्यों के क्षेत्रों में योजना लागू की जा रही है।

1.4.0 **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की विशेषताएँ** :

1. यह योजना राज्य के सभी क्षेत्रों में लागू हो गयी है।

2. इस योजनान्तर्गत आवृति व्यय हेतु राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

3. जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल संस्था है।

4. सांसदों द्वारा देश के किसी भी भाग में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, चक्रवात, सुनामी भूकम्प, तूफान, अकाल आदि की स्थिति में अपने कोटे से 10.00 लाख रूपये तक की राशि के कार्यों की अभिशंषा मार्गदर्शिका में अनुमत कार्यों हेतु की जा सकती है।

5. देश में विकराल प्राकृतिक आपदा आने एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने पर सांसद प्रभावित जिले के लिये अधिकतम 50.00 लाख रूपये के कार्यों की अभिशंषा कर सकते हैं।

6. यदि कोई निर्वाचित संसद सदस्य उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिससे वह चुना गया है, की शिक्षा एवं संस्कृति का प्रचार दूसरे राज्य/संघ शासित क्षेत्र में करना चाहता है तो एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10.00 लाख रूपये शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित कार्य जो मार्गदर्शिका में प्रतिबन्धित नहीं है का चयन कर सकता है।

7. योजनान्तर्गत निधियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिये क्रमशः कम से कम 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की लागत के कार्यों की अभिशंषा करने का प्रावधान है।

8. योजनान्तर्गत निर्मित करायी जाने वाली परिसम्पत्तियों के रख–रखाव और अनुरक्षण की व्यवस्था संबंधित लाभार्थी संस्था की होती है।

9. योजना के तहत् सांसद द्वारा प्रस्तावित कार्यों के प्राप्त होने की दिनांक से यथासंभव 45 दिनों के अन्दर प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की व्यवस्था की गई है।

1.5.0 योजनान्तर्गत प्रतिबन्धित कार्यों की सूची निम्नानुसार है :–

1. केन्द्र, राज्य सरकार, उनके विभागों, सरकारी अभिकरणों/संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबद्ध कार्यालय तथा रिहायशी भवन।

2. कार्यालय तथा रिहायशी भवन तथा निजी, सहकारी और वाणिज्यिक संगठनों से संबद्ध अन्य कार्य।

3. ऐसे सभी कार्य जिनमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/इकाई शामिल है।

4. किसी भी प्रकार के रख–रखाव वाले कार्य।

5. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध विशेष अनुमति वाली सम्पत्ति तथा पुरातात्विक स्मारक तथा भवनों को छोड़कर सभी नवीनीकरण तथा मरम्मत कार्य।

6. किसी भी केन्द्र तथा राज्य/संघ शासिक क्षेत्र के राहत कोष में अंशदान, अनुदान तथा ऋण।

7. किसी व्यक्ति के नाम पर रखी गई सम्पत्ति।

8. केन्द्र, राज्य, संघ शासित क्षेत्र तथा स्थानीय स्वशासन से संबद्ध वाहन, अर्थ, मूवर तथा अस्पताल उपकरण, शैक्षणिक खेल, पेयजल तथा सफाई उद्देश्यों को छोड़कर सभी चल वस्तुओं की खरीद। (यह कार्य, जिसके लिए ऐसी वस्तुओं का प्रस्ताव हो, पूंजी लागत के 10 प्रतिशत के अध्यधीन होगा)।

9. भूमि अधिग्रहण तथा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा।

10. किसी भी प्रकार के कार्य अथवा मद की समाप्ति अथवा आंशिक समाप्ति की अदायगी।

11. व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ हेतु संपत्ति।

12. समस्त राजस्व और आवर्ती व्यय।

13. धार्मिक पूजन से संबद्ध स्थल तथा धार्मिक आस्था/समूह द्वारा अधिगृहित भूमि के अन्तर्गत कार्य।

1.6.0 **कार्य स्वीकृति एवं निर्माण के मापदण्ड** :

1.6.1 सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना के तहत किसी भी कार्य के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को उस क्षेत्र के सांसद द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में भरकर भिजवाये जाते हैं। प्रस्ताव में कार्य की वरीयता, कार्य का नाम, कार्य का स्थान, अनुमानित लागत आदि के संबंध में विवरण दिया जाता है। किसी भी सांसद का चुनावी क्षेत्र एक जिले से अधिक जिले होने पर सांसद द्वारा प्रस्ताव नोडल जिले के सक्षम अधिकारी को ही भिजवाने के प्रावधान है। यदि निर्माण कार्य नोडल जिले के अतिरिक्त अन्य जिले में करवाये जाने की अनुशंषा की जानी होती है तब मुख्य प्रस्ताव सक्षम अधिकारी नोडल जिले को देते हुए प्रतिलिपि अन्य जिला जिसमें कार्य करवाना हो, उसे दी जाती है। कार्य का क्रियान्वयन उसी जिले के जिलाधिकारी द्वारा करवाकर कार्य की प्रगति नोडल जिले के सक्षम अधिकारी को भिजवाने के प्रावधान हैं। कार्य समय पर एवं नियमानुसार पूर्ण करवाने का पूर्ण दायित्व जिला स्तरीय सक्षम अधिकारी का होता है। जिला स्तर पर सांसद द्वारा चिन्हित कार्य का स्थान बिना सांसद की पूर्वानुमति नहीं बदला जा सकता है।

1.6.2 सांसद द्वारा प्रस्तावित कार्य की अनुमानित लागत से कार्य की वास्तविक लागत अधिक होने पर जिला स्तरीय एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव प्राप्ति के 45 दिवस की अवधि में सांसद को अवगत करवाने के प्रावधान हैं।

1.6.3 सांसद क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत करवाये जाने वाले कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाये जाने के प्रावधान किये गये हैं। इससे अधिक अवधि के कार्य होने पर कार्य के स्वीकृति आदेश जारी करने के साथ ही कार्य की अवधि एवं अधिक समय लगने के कारणों का उल्लेख भी किये जाने के प्रावधान हैं। इसकी प्रति संबंधित सांसद को उपलब्ध करवायी जानी आवश्यक है। कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जिला स्तरीय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जाती है।

1.6.4 सांसद द्वारा प्रस्तावित एवं जिला स्तरीय सक्षम अधिकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृत कार्य निरस्त नहीं किये जा सकते हैं। विशेष परिस्थिति में ऐसे कार्य निरस्त करने की बाध्यता होने पर सक्षम अधिकारी केन्द्र/राज्य सरकार एवं संबंधित सांसद को मय कारण अवगत करवाने के लिए प्रतिबन्धित होते हैं।

1.6.5 सांसद किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना में राज्य के हिस्से की राशि के स्थान पर भी एम.पी. योजना की शर्तों की पूर्ति करते हुए अपने फण्ड की राशि के उपयोग की अनुशंषा कर सकते हैं।

1.6.6 किसी भी निर्माण कार्य की समाप्ति के पश्चात् निर्मित कार्य के बाहर एक पटिट्का पर योजना का नाम, सांसद का नाम, व्यय की गयी राशि, निर्माण कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तिथी, निर्माण का माध्यम आदि संबंधी सूचना दर्शानी आवश्यक है।

1.7.0 **स्वीकृत निधियाँ जारी करने की प्रक्रिया** :

1.7.1 सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना के तहत् प्रति सांसद प्रतिवर्ष 2.00 करोड़ रूपये की राशि केन्द्र सरकार द्वारा सीधे जिला स्तर पर नोडल एजेन्सी को जारी की जाती है। स्वीकृत राशि दो समान किश्तों में जारी करने के प्रावधान है।

1.7.2 प्रथम किश्त वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जारी कर दी जाती है। द्वितीय किश्त गत वर्ष के उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं ऑडिट रिपोर्ट भिजवाने के पश्चात् एवं एम.पी. फण्ड में एक करोड़ से कम राशि शेष होने पर जारी की जाती है।

1.7.3 सांसद योजना के तहत जारी राशि शेष रहने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही राशि लैप्स नहीं होती है।

1.7.4 जिला स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा सांसद योजना के तहत् स्वीकृत राशि में से 0.5 प्रतिशत राशि कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु व्यय की जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट एजेन्सी द्वारा इस राशि से स्थायी प्रवृति के सामान यथा फ्रीज, कूलर, वाहन, कम्प्यूटर आदि नहीं खरीदे जा सकते हैं। राशि का उपयोग भवन मरम्मत आदि पर नहीं किया जा सकता है।

1.8.0 **प्रबोधन** :

1.8.1 राज्य सरकार द्वारा अधिकृत नोडल विभाग राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होता है। वर्ष में कम से कम एक बार मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संबंधित सांसद एवं जिला स्तरीय सक्षम अधिकारी के साथ कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के प्रावधान हैं।

1.8.2 जिला स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा भी प्रतिवर्ष कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण यथासंभव सम्बन्धित सांसद के साथ करने के प्रावधान हैं एवं प्रतिमाह बैठक में कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के भी प्रावधान रखे गये हैं।

1.9.0 **कार्यक्रम की प्रगति मूल्यांकन की आवश्यकता** :

1.9.1 योजना के तहत राज्य में सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के अनुसार 24 जिलों में वर्ष 2005–06, 06–07 एवं 07–08 में प्रतिवर्ष क्रमशः 7100.00 लाख, 6131.19 लाख एवं 7700.00 लाख रूपये की राशि जारी की गयी है एवं इसके विरूद्ध 7284.88, 7686.37 एवं 7611.12 लाख रूपये की राशि व्यय की गयी है। वर्षवार उपलब्ध एवं व्यय राशि निम्नानुसार पायी गयी :–

सांसद क्षेत्रीय विकास योजना के तहत उपलब्ध राशि एवं व्यय
(2005–06, 2006–07, 2007–08)

क्र.सं.	वर्ष	उपलब्ध राशि	व्यय राशि
1	01.04.05 का बैलेंस	5282.32	
2	2005–06	7100.00	7284.88
3	2006–07	6131.19	7686.37
4	2007–08	7700.00	7611.12
	योग :	**26213.51**	**22582.4**
			86.15 प्रतिशत

1.9.2 कार्य की महत्ता, उपयोगिता, निर्माण कार्यों की आवश्यकता एवं योजना के प्रभावों का आकलन करवाने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त योजना का मूल्यांकन किया गया।

1.10.0 **अध्ययन के उद्धेश्य** :

1. योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा।

2. योजनान्तर्गत हुए कार्यों की गुणवत्ता, आवश्यकता एवं उपयोगिता का आकलन।

3. चयनित कार्यों में आवंटित राशि की उपलब्धता, पर्याप्तता, प्रक्रिया, समयावधि आदि का आकलन।

4. योजना के तहत् निर्मित कार्यों से उपलब्ध रोजगार की समीक्षा करना।

5. क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाईयाँ ज्ञात करना एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

1.11.0 **न्यादर्श चयन** :

1.11.1 अध्ययन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श प्रणाली का उपयोग करते हुए सर्वप्रथम सभी जिलों की वर्ष 2005–06 से 07–08 तक व्यय राशि की सूची घटते हुए क्रम में बनायी गयी एवं सामान्य न्यादर्श चयन प्रणाली का उपयोग करते हुए चार जिलों का चयन किया गया।

क्र.सं.	जिले का नाम
1	बांसवाड़ा
2	अलवर
3	सवाईमाधोपुर
4	जोधपुर

(व्यय की जिलेवार सूची परिशिष्ट I पर उपलब्ध है)

1.11.2 द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से सर्वाधिक व्यय(2005–06 से मार्च 2008 तक) वाली दो पंचायत समितियों का चयन किया गया। प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से 2 ग्राम पंचायतों का उपरोक्तानुसार चयन किया गया। चयनित ग्राम पंचायत में संदर्भित अवधि में हुए कार्यों की सूची बनाकर सभी प्रकार के कार्यों में से एक–एक कार्य का चयन किया गया। चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत से न्यूनतम पाँच कार्यों का चयन किया गया है। अन्तिम स्तर पर प्रत्येक चयनित कार्य का उपयोग करने वाले लाभार्थियों से चर्चा कर समूह अवलोकन अनुसूची भरी गई। चयनित प्रत्येक कार्य के 3–3 लाभार्थी श्रमिकों का चयन कर अनुसूचियाँ भरी गई।

1.12.0 **अध्ययन हेतु निर्धारित अनुसूचियाँ** :

1.12.1 अध्ययन हेतु निम्न अनुसूचियाँ भरी गई :–

1. **प्रलेख अनुसूची** :

इस अनुसूची में राज्य स्तर पर तथा चयनित जिलों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की योजना के तहत स्वीकृत राशि, स्वीकृत कार्य, पूर्ण कार्य, अपूर्ण कार्य, निरस्त कार्य आदि सम्बन्धी सूचना प्राप्त की गयी।

2. **कार्य अनुसूची** :

इस अनुसूची में चयनित कार्य हेतु आवंटित राशि, व्यय, कार्य में लगने वाला समय व कार्य की उपयोगिता सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की गई।

3. **श्रमिक अनुसूची** :

चयनित कार्यों पर कार्य करने वाले लाभार्थी से इस अनुसूची में प्राप्त रोजगार, मजदूरी व उसके उपयोग सम्बन्धी सूचना एकत्रित की गई। लाभार्थी/श्रमिक का चयन करते हुए यथासम्भव अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला सभी वर्गों का चयन किया गया।

4. **सरकारी/गैर सरकारी अनुसूची** :

योजना से सम्बन्धित चयनित जिलों के सांसद, जिला परिषद के मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.पी. योजना के प्रभारी अधिकारी, विकास अधिकारी, ए.ई.एन., ग्राम सेवक, सरपंच, पंच, पटवारी, मेट आदि से इस अनुसूची में कार्यों का चयन, उपयोगिता, गुणवत्ता, कार्यक्रम के संचालन में आ रही कठिनाईयाँ एवं सुझाव एकत्रित किये गये।

5. **लाभार्थी समूह अनुसूची** :

क्षेत्रीय कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पी.आर.ए. तकनीक के आधार पर विस्तृत अवलोकन टिप्पण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें चयनित ग्राम में उपलब्ध संसाधन, आधारभूत सुविधाएँ, कार्यक्रम की उपयोगिता, कठिनाईयाँ एवं सुझाव सम्मिलित किये गये। टिप्पण में उन बिन्दुओं का भी समावेश किया गया जिनकी सूचना/विचार अनुसूची में नहीं आ सकती थी।

1.13 **संदर्भ अवधि** :

1.13.1 अध्ययन से संबंधित प्रलेख सूचना कार्यक्रम के प्रारम्भ 2005–06 से लेकर 2007–08 तक एकत्रित की गयी। अधिकारी/गैर अधिकारी एवं लाभार्थी के विचार सर्वे अवधि से सम्बन्धित हैं।

————

अध्याय द्वितीय

प्रगति समीक्षा

सांसद क्षेत्रीय विकास योजना के मूल्यांकन हेतु चार जिलों क्रमशः अलवर, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा एवं जोधपुर का चयन किया गया। चयनित जिलों से प्रति जिला 2–2 पंचायत समितियों एवं प्रति पंचायत समिति 2–2 ग्राम पंचायतों का चयन कर योजना के तहत् स्वीकृत कार्य पूर्ण/अपूर्ण कार्य, आवंटित राशि, व्यय राशि आदि के संबंध में प्राप्त प्रगति की समीक्षा इस अध्याय में की गयी।

प्रगति समीक्षा हेतु चयनित जिले/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों की सूचना निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	चयनित जिले	चयनित पंचायत समितियाँ	चयनित ग्राम पंचायत
1	अलवर	बहरोड़ 2	4
		मन्डावर	4
2	सवाईमाधोपुर	गंगापुर 2	7
		सवाईमाधोपुर	4
3	बांसवाड़ा	कुशलगढ़ 2	3
		तलवाड़ा	1
4	जोधपुर	लूणी 2	2
		फलौदी	2

2.1 चयनित जिलों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति :

चयनित समस्त इकाईयों की जिलेवार/पंचायत समितिवार/ग्राम पंचायतवार प्रगति निम्नानुसार पायी गयी।

2.1.1 **जिलेवार स्वीकृत कार्य** :

सांसद क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कुल 1503 नवीन कार्य स्वीकृत किये गये। 445 कार्य दिनांक 01.04.05 के अवशेष थे। इस प्रकार कुल 1503+445=1948 कार्य संदर्भित अवधि में करवाये जाने प्रस्तावित थे, जिनमें 1441 कार्य संदर्भित अवधि में पूर्ण हुए, जिनकी जिलेवार सूचना निम्नानुसार पायी गयी :–

स्वीकृत, पूर्ण/अपूर्ण कार्यों का जिलेवार विवरण
(2005–06 से 2007–08)

क्र. सं.	जिला	कार्य						
		01.04.05 को शेष	कुल स्वीकृत कार्य	कुल	कार्य पूर्ण	कार्य अपूर्ण	1.4.08 तक कार्य प्रारम्भ नहीं	कार्य निरस्त
1	अलवर	0	472	472	329	24	109	10
2	सवाईमाधोपुर	69	255	324	242	82	0	0
3	बांसवाड़ा	164	181	345	297	39	9	0
4	जोधपुर	212	595	807	573	221	1	12
	योग :	**445**	**1503**	**1948**	**1441**	**389**	**106**	**22**
	प्रतिशत :	**22.84**	**77.16**		**73.97**	**19.97**	**5-44**	**0-62**

उपरोक्त तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में संदर्भित अवधि में करवाये जाने वाले कुल 1948 कार्यों में 1503 (77.16 प्रतिशत) नवीन एवं 445 (22.84 प्रतिशत) 1.4.05 को पूर्ण का अवशेष था। संदर्भित अवधि में 1441 (73.97 प्रतिशत) कार्य पूर्ण करवाये गये। यदि इसी संदर्भित अवधि में स्वीकृत 1503 कार्यों में से पूर्ण कार्यों का प्रतिशत देखा जाये तो 1441 (95.87 प्रतिशत) कार्य इस अवधि में पूर्ण हुए। 1.4.05 के अवशेष 445 कार्यों की तुलना में 1.4.08 को 389 कार्य अपूर्ण पाये गये एवं 106 कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुए पाये गये। विभाग को इतने अधिक कार्य अपूर्ण रहने एवं प्रारम्भ ही नहीं हो पाने के कारणों की वस्तुस्थिति ज्ञात कर नवीन कार्य स्वीकृति से पूर्व अपूर्ण कार्यों को समय पर पूर्ण करवाने के प्रयास करने चाहिये एवं साथ ही कार्य प्रारम्भ नहीं होने की स्थिति में नवीन स्थान अथवा नवीन कार्य जो भी सम्भव हो शीघ्र निर्णय कर करवाने के प्रयास करने चाहिये। जिससे जन कल्याण से जुड़े हुए कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाकर कार्यक्रम की मूल भावना की पुष्टि की जा सके।

2.1.2 **वर्षवार स्वीकृत एवं पूर्ण कार्य** :

वर्षवार एवं जिलेवार स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2005–06 से चयनित जिलों में 569 कार्य स्वीकृत हुए। वर्ष 2006–07 में 451 एवं वर्ष 2007–08 में 483 कार्य स्वीकृत हुए, जिनकी जिलेवार सूचना निम्नानुसार पायी गयी।

जिले का नाम	1.4.05 को अवशेष	स्वीकृत कार्य			योग	पूर्ण कार्य			योग
		2005–06	2006–07	2007–08		2005–06	2006–07	2007–08	
अलवर	NR	172	146	154	472	160	117	52	329 (69.70%)
सवाईमाधोपुर	69	160	45	50	324	141	36	65	242 (74.69%)
बांसवाड़ा	164	34	75	129	345	180	36	81	297 (86.09%)
जोधपुर	212	203	185	207	807	153	266	154	573 (71.00%)
योग :	**445**	**569**	**451**	**483**	**1948**	**634**	**455**	**352**	**1441**
प्रतिशत :	**22.84**	**29.21**	**23.16**	**24.79**		**44.00**	**31.57**	**24.43**	**73.97**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अलवर जिले में संदर्भित अवधि में 472 कार्य स्वीकृति के विपरीत 329 (69.70 प्रतिशत) कार्य पूर्ण हुए थे। इसी प्रकार जोधपुर में 71.00 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुए। बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक 86.09 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुए। वर्षवार स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों की दृष्टि से देखा जाये तो वर्ष 2005–06 में स्वीकृत 569 कार्यों के विपरीत 634 कार्य 2006–07 में स्वीकृत 451 के विपरीत 455 एवं 2007–08 में स्वीकृत 483 कार्यों के विपरीत 352 कार्य पूर्ण हुए। वर्ष 2007–08 में कार्य पूर्ण होने की गति अपेक्षाकृत रूप से कम रही। अतः विभाग को प्राथमिकता से बकाया कार्य पूर्ण करवाने का प्रयास करना चाहिये।

2.2 **जिलेवार आवंटन एवं व्यय** :

2.2.1 चयनित जिलों क्रमशः अलवर, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा एवं जोधपुर में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक योजनान्तर्गत आवंटन एवं व्यय की राशि से राज्य स्तर पर संकलित सूचनाओं एवं जिला स्तर से प्राप्त सूचनाओं में अन्तर पाया गया है। राज्य स्तर से संकलित सूचनानुसार चयनित जिलों में आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी।

जिलेवार एवं वर्षवार चयनित जिलों की वित्तीय स्थिति

क्र. सं.	जिला	2005–06				2006–07				2007–08			
		1.4.05 को शेष	स्वीकृत	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	1.4.06 को शेष	स्वीकृत	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	1.4.07 को शेष	स्वीकृत	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि
1	अलवर	184.04	200.00	384.04	206.98	177.06	200.00	377.06	244.65	132.41	200.00	332.41	207.60
2	सवाईमाधोपुर	368.24	200.00	568.24	259.27	308.97	200.00	508.97	123.48	385.49	200.00	585.49	271.26
3	बांसवाड़ा	118.16	200.00	318.16	272.07	46.09	200.0	246.09	155.80	90.29	200.00	290.29	187.90
4	जोधपुर	494.49	400.00	894.49	323.32	571.17	431.19	1002.36	431.61	570.75	500.00	1070.75	359.94
	योग :	1164.93	1000.00	2164.93	1061.64	1103.29	1031.19	2134.48	955.54	117894	1100	2278.94	1096.70
	प्रतिशत :				49.04				44.77				48.12

2.2.2 सारणी में उपलब्ध सूचनानुसार चयनित जिलों में वर्ष 1.4.05 को 1164.93 लाख रूपये का बैलेन्स उपलब्ध था। वर्ष 2005–06 में 1000.00 लाख रूपये, वर्ष 2006–07 में 1031.19 लाख रूपये एवं वर्ष 2007–08 में 1100.00 लाख रूपये स्वीकृत हुए। वर्ष 2005–06 में कुल उपलब्ध 2164.93 लाख रूपये (1164.93 वर्ष 1.4.05 का बैलेन्स + 1000.00 लाख नवीन स्वीकृत) में 1061.64 लाख(49.04 प्रतिशत) रूपये व्यय हुए। वर्ष 2006–07 में कुल उपलब्ध 2134.48 लाख रूपये में से 955.54 (44.77 प्रतिशत) लाख ही व्यय हुए। उपलब्ध राशि की तुलना में इस वर्ष व्यय का प्रतिशत कम रहा। इसी प्रकार वर्ष 2007–08 में कुल उपलब्ध 2278.94 लाख रूपये की राशि के विपरीत 1096.70 लाख(48.12 प्रतिशत) व्यय हुए। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार उपलब्ध राशि की तुलना में व्यय का प्रतिशत कम रहा।

2.3 सूचनाओं में विभेद :

2.3.1 चयनित इन्हीं जिलों की इसी अवधि की आवंटन एवं व्यय की जिला स्तर से संकलित सूचनाओं की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी :–

चयनित जिलों की जिलेवार एवं वर्षवार वित्तीय स्थिति

क्र. सं.	जिला	2005–06				2006–07				2007–08			
		1.4.05 को शेष	स्वीकृत	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	1.4.06 को शेष	स्वीकृत	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	1.4.07 को शेष	स्वीकृत	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि
1	अलवर	NA	241.11	241.11	228.11	13.00	209.57	222.57	181.71	40.86	212.76	253.62	91.73
2	सवाईमाधोपुर	55.00	115.00	170.00	114.21	55.79	125.00	180.79	79.78	101.01	110.00	211.01	72.14
3	बांसवाड़ा	9.13	141.99	151.12	137.14	13.98	173.08	187.06	13654	50.52	126.44	176.96	121.24
4	जोधपुर	464.71	400.00	864.71	303.78	560.93	200.00	760.93	431.60	329.33	500.00	829.33	330.00
	योग :	528.84	898.10	1426.94	783.24	643.7	707.65	1351.35	829.63	521.72	949.2	1470.92	615.11
	प्रतिशत :				54.9				61.4				41.8

2.3.2 उपरोक्त सूचनाओं में एवं राज्य स्तर से संकलित सूचनाओं में प्रत्येक स्तर पर विभेद पाया गया है। जिसे निम्न सारणी में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है।

1.4.05 का बैलेन्स :

राज्य स्तर 1164.93 लाख रूपये जिला स्तर 528.84 लाख रूपये

चयनित जिलों में वर्ष 2005–06 में	**आवंटन**	**व्यय**
राज्य स्तर	1000.00 लाख रूपये	1061.64
जिला स्तर	898.10 लाख रूपये	783.24

वर्ष 2006–07 :

	आवंटन/स्वीकृत राशि	**व्यय राशि**
सूचना राज्य स्तर	1031.19 लाख	955.54 लाख
सूचना जिला स्तर	707.65 लाख	829.63 लाख

वर्ष 2007–08 :

	आवंटन/स्वीकृत राशि	व्यय राशि
सूचना राज्य स्तर	1100.00 लाख	1026.7 लाख
सूचना जिला स्तर	949.2 लाख	615.11 लाख

2.3.4 इकजाही तौर पर तीनों वर्षों में स्वीकृत एवं व्यय राशि की राज्य स्तर एवं जिला स्तर से प्राप्त सूचनाओं में पाया गया अन्तर निम्नानुसार है।

(राशि लाख रूपये में)

	चयनित जिलों में 1.4.05 को बैलेन्स	वर्ष 2005–06 से 2007–08 में स्वीकृत राशि	कुल राशि	व्यय	1.4.08 को अवशेष
राज्य स्तर से प्राप्त सूचनानुसार	1164.93	3131.19	4296.12	3043.88	1252.24
जिला स्तर	528.84	2554.95	3083.79	2227.98	855.81

2.3.5 उपरोक्त सूचनाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर सूचनाओं के संकलन में एकरूपता नहीं है। वित्तीय वर्षों की समाप्ति के लगभग 2–3 वर्ष पश्चात् उपलब्ध करवायी गयी सूचनाओं में पाया गया अन्तर उल्लेखनीय है। विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दोनो स्तर पर सूचनाऐं समान रहे, इसकी पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिये।

2.4 जिलेवार स्वीकृत/पूर्ण/अपूर्ण कार्य :

2.4.1 चयनित जिलों की जिला स्तर से संकलित सूचनानुसार वर्ष 1.4.2005 को बकाया/अपूर्ण कार्य 445 थे एवं वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक स्वीकृत कार्यों की स्थिति निम्नानुसार थी।

जिले का नाम	1.4.05 का बकाया	वर्ष 2005–06 में स्वीकृत	2006–07	2007–08	कुल व्यय
अलवर	निल	172	146	154	472
सवाईमाधोपुर	69	160	45	50	324
बांसवाड़ा	164	34	75	72	345
जोधपुर	212	203	185	207	807
योग :	**445**	**569**	**451**	**483**	**1948**

2.4.2 उपरोक्त सूचनानुसार चयनित जिलों में संदर्भित अवधि में कुल 1503 कार्य नवीन स्वीकृत हुए। 445 कार्य 1.4.05 के अवशेष थे। इस प्रकार कुल 1948 कार्यों में से 1448 कार्य वर्ष 2007–08 की समाप्ति तक पूर्ण हुए थे। 389 कार्य दिनांक 1.4.2008 को अपूर्ण रहे थे एवं 118 कार्य इस अवधि में निरस्त हुए। जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है :–

क्र. सं.	जिला	कार्य स्वीकृत, पूर्ण एवं अपूर्ण					
		01.04.05 को शेष	2005–06 से 2007–08 तक स्वीकृत कार्य	कुल	कार्य पूर्ण	1.4.08 को अपूर्ण कार्य	कार्य प्रारम्भ नहीं निरस्त/ निरस्त
1	अलवर	0	472	472	329 (69.70%)	24	119
2	सवाईमाधोपुर	69	255	324	242 (74.69%)	82	0
3	बांसवाड़ा	164	181	345	297 (86.09%)	39	9
4	जोधपुर	212	595	807	573 (71.00%)	221	13
	योग :	**445**	**1503**	**1948**	**1441 (73.97%)**	**389**	**118**

2.4.3 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अलवर जिले में कार्य पूर्ण होने की प्रगति 69.70 प्रतिशत, सवाईमाधोपुर में 74.69 प्रतिशत, बांसवाड़ा में 86.09 प्रतिशत एवं जोधपुर में 71.00 प्रतिशत रही। जोधपुर में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया कार्यों का अवशेष भी सर्वाधिक पाया गया।

2.5 चयनित जिलों की भौतिक प्रगति की राज्य स्तरीय सूचना :

2.5.1 राज्य स्तर से चयनित जिलों की संकलित सूचनानुसार 1.4.05 को बकाया कार्य 652 थे। वर्ष 2005–06 से 2007 तक नवीन स्वीकृत कार्य क्रमशः 668, 579 एवं 563 कुल 1810 थे। अर्थात कुल 2462 कार्य करवाये गये थे, जिनमें से वर्षवार क्रमशः 701, 640 एवं 591 थे। अर्थात कुल 1932 कार्य पूर्ण हुए। जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है :–

क्र. सं.	जिला	वर्षवार स्वीकृत, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्य													
		2005–06							2006–07						
		1.4.05 को शेष	कुल स्वीकृत	कुल	कार्य पूर्ण	कार्य अपूर्ण	कार्य प्रारम्भ नहीं	कार्य निरस्त	1.4.05 को शेष	कुल स्वीकृत	कुल	कार्य पूर्ण	कार्य अपूर्ण	कार्य प्रारम्भ नहीं	कार्य निरस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	अलवर	99	170	269	153	116	0	0	116	155	271	168	103	0	0
2	सवाईमाधोपुर	141	150	291	149	142	0	0	142	155	297	114	183	0	0
3	बांसवाड़ा	176	148	324	267	56	0	1	56	84	140	46	93	0	1
4	जोधपुर	236	200	436	132	304	0	0	304	185	489	312	177	0	0
	योग :	**652**	**668**	**1320**	**701**	**618**	**0**	**1**	**618**	**579**	**1197**	**640**	**556**	**0**	**1**

....निरन्तर

क्र. सं.	जिला	वर्षवार स्वीकृत, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्य 2007–08						
		1.4.05 को शेष	कुल स्वीकृत	कुल	कार्य पूर्ण	कार्य अपूर्ण	कार्य प्रारम्भ नहीं	कार्य निरस्त
		17	18	19	20	21	22	23
1	अलवर	103	118	221	124	97	0	0
2	सवाईमाधोपुर	183	91	274	103	171	0	0
3	बांसवाड़ा	93	86	179	122	56	0	1
4	जोधपुर	177	268	445	242	203	0	0
	योग :	**556**	**563**	**1119**	**591**	**527**	**0**	**1**

2.5.2 उपरोक्त प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राज्य स्तर एवं जिला स्तर से प्राप्त सूचनाओं में अन्तर रहा है। जिसे समग्र रूप से इस प्रकार देखा जा सकता है।

	चयनित जिलों में 1.4.05 को अपूर्ण कार्य	वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक स्वीकृत कार्य	कुल कार्य	पूर्ण कार्य
राज्य स्तर	652	1810	2462	1932
जिला स्तर	445	1503	1948	1441

2.5.3 राज्य स्तर एवं जिला स्तर की सूचना में अन्तर पाया गया है। अध्ययन संरचना एवं जिलों के चयन का आधार राज्य स्तरीय सूचनायें होने के कारण जिला स्तर से प्राप्त विस्तृत सूचनाओं का विश्लेषण किया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि जिला स्तरीय सूचनाओं के विश्लेषण से प्रतिवेदन में उपलब्ध समंकों में विसंगतियाँ उत्पन्न होंगी। अतः जिला स्तर से प्राप्त कार्यवार, पंचायतसमितिवार सूचनाओं की व्याख्या नहीं की गयी है।

2.5.4 राज्य एवं जिला स्तर से प्राप्त वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की प्राप्त सूचनाओं में जिलेवार एवं वर्षवार आया अन्तर इन तालिकाओं में दर्शाया गया है :–

राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर प्राप्त सूचना में अन्तर								
क्र. सं.	जिला	वर्ष	जिला स्तर पर प्राप्त सूचना			राज्य स्तर पर प्राप्त सूचना		
			1.4.05 को शेष	आवंटन/ स्वीकृति राशि	व्यय	1.4.05 को शेष	आवंटन/ स्वीकृति राशि	व्यय
1	अलवर	2005–06	0	241.11	228.11	184.04	200.00	206.98
		2006–07		209.57	181.71		200.00	244.65
		2007–08		212.76	91.73		200.00	207.60
2	सवाईमाधोपुर	2005–06	55.00	115.00	114.21	368.24	200.00	259.27
		2006–07		125.00	79.78		200.00	123.48
		2007–08		110.00	72.14		200.00	271.26
3	बांसवाड़ा	2005–06	9.13	141.99	137.14	118.16	200.00	272.07
		2006–07		173.08	136.54		200.00	155.80
		2007–08		126.44	121.24		200.00	187.90
4	जोधपुर	2005–06	464.71	–	303.78	494.49	–	323.32
		2006–07		200.00	431.60		431.19	431.61
		2007–08		–	330.00		–	359.94

2.5.5 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि चयनित सभी जिलों में एवं लगभग संदर्भित अवधि के सभी वर्षों में आवंटन एवं व्यय राशि की सूचनाओं में विभेद पाया गया है। इसी प्रकार जिलों की भौतिक प्रगति से सभी जिलों में तीन वर्षों की अवधि में उपलब्ध सूचनाओं में अन्तर पाया गया है। जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है।

राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर प्राप्त सूचना में अन्तर (भौतिक प्रगति)										
क्र. सं.	जिला	वर्ष	जिला स्तर पर प्राप्त सूचना				राज्य स्तर पर प्राप्त सूचना			
			स्वीकृत	कुल स्वीकृत	पूर्ण	अपूर्ण	स्वीकृत	कुल स्वीकृत	पूर्ण	अपूर्ण
1	अलवर	2005–06	172	172	160	5	170	269	153	116
		2006–07	146	158	117	25	155	271	168	103
		2007–08	154	195	52	47	118	221	124	97
2	सवाईमाधोपुर	2005–06	160	229	141	88	150	291	149	142
		2006–07	45	133	36	97	155	297	114	183
		2007–08	50	147	65	82	91	274	103	171
3	बांसवाड़ा	2005–06	34	198	180	18	148	324	267	56
		2006–07	75	93	36	57	84	140	46	93
		2007–08	72	129	81	39	86	179	122	56
4	जोधपुर	2005–06	203	415	153	262	200	436	132	304
		2006–07	–	447	266	178	–	489	312	177
		2007–08	207	388	154	221	268	445	242	203

2.5.6 अतः सुझाव दिया जाता है कि सूचनाओं का संप्रेषण विश्वसनीय एवं एकरूप रखने का प्रयास विभाग को करना चाहिये।

2.6 चयनित पंचायत समितियों में स्वीकृत कार्य :

2.6.1 अध्ययन हेतु चयनित चारों जिलों की आठ पंचायत समितियों का चयन कर उनमें योजना के के तहत स्वीकृत एवं पूर्ण कार्य तथा किये गये व्यय की समीक्षा की गयी, जो निम्नानुसार पायी गयी :–

क्र.सं.	चयनित जिला	चयनित पंचायत समिति	1.4.05 को अवशेष कार्य	वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक स्वीकृत कार्य	कुल कार्य	पूर्ण कार्य	1.4.08 को अपूर्ण कार्य	निरस्त
1.	अलवर	बहरोड़	–	54	54	42	4	8
		मन्डावर	7	86	93	82	9	2
2.	सवाईमाधोपुर	गंगापुर	6	60	66	63	3	–
		सवाईमाधोपुर	1	47	48	40	6	2
3.	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	–	30	30	28	2	–
		तलवाड़ा	6	64	70	51	13	6
4.	जोधपुर	लूणी	29	107	136	132	3	1
		फलौदी	1	100	101	91	10	–
	योग		**50**	**548**	**598**	**529**	**50**	**19**

2.6.2 उपरोक्त तालिका में दी गयी सूचनानुसार दिनांक 1.4.05 को चयनित पंचायत समितियों में कुल 50 कार्य बकाया थे जिनमें 30 कार्य जोधपुर जिले की लूणी एवं फलौदी पंचायत समिति में पाये गये। लूणी में बकाया कार्यों की संख्या सर्वाधिक पायी गयी। संदर्भित अवधि में 2005–06 से 2007–08 में 548 नवीन कार्य स्वीकृत हुए। नवीन स्वीकृत 548 कार्यों में सर्वाधिक 207 कार्य जोधपुर जिले में स्वीकृत हुए। वर्ष 1.4.05 के अवशेष एवं नवीन स्वीकृत 598 कार्यों में से 529 (88.46 प्रतिशत) कार्य संदर्भित अवधि में पूर्ण हुए हैं। 1.4.05 को रहे अपूर्ण कार्यों एवं 1.4.08 को रहे अपूर्ण कार्यों की संख्या यथावत रही लेकिन पंचायत समितिवार स्थिति में परिवर्तन परिलक्षित हुआ है। अलवर जिले की बहरोड़ पंचायत समिति में 1.4.05 को बकाया शून्य था जबकि 1.4.08 को 4 कार्य अपूर्ण थे। इसी प्रकार गंगापुरसिटी में 1.4.05 को 6 बकाया थे जबकि 1.4.08 को 6 एवं सवाईमाधोपुर में 1 के स्थान पर 6 कार्य बकाया रहे। कुशलगढ़ में शून्य बकायों के स्थान पर संदर्भित अवधि की समाप्ति पर 2 कार्य बकाया रहे। इसी प्रकार तलवाड़ा में बकाया कार्यों की संख्या 6 से बढ़कर 13 हो गयी। फलौदी में भी बकाया कार्यों की संख्या 1 से बढ़कर 10 हो गयी। मात्र लूणी पंचायत समिति में बकाया कार्यों की संख्या 29 के स्थान पर घटकर मात्र 3 रह गयी। पंचायत समितियों को बकाया कार्य शीघ्र अथवा उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाने के प्रयास करने चाहिए।

2.7 वित्तीय प्रावधान :

2.7.1 चयनित 8 पंचायत समितियों में संदर्भित अवधि में 852.44 लाख रुपये की राशि जारी की गयी एवं 17.73 लाख रुपये की राशि का अवशेष 1.4.05 को उपलब्ध पाया गया जिसकी पंचायत समितिवार सूचना निम्नानुसार पायी गयी :–

जिलेवार स्वीकृत एवं व्यय राशि (2005–06 से 2007–08)

क्र.सं.	चयनित जिला	चयनित पंचायत समिति	1.4.05 को अवशेष	आंवटित राशि (वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक)	उपलब्ध कुल राशि	व्यय राशि (वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक)	1.4.08 को अवशेष
1.	अलवर	बहरोड़	–	102.24	102.24	98.11	4.13
		मन्डावर	13.18	102.80	115.98	112.30	3.68
2.	सवाईमाधोपुर	गंगापुर	–	103.16	103.16	87.79	15.37
		सवाईमाधोपुर	2.00	81.67	83.67	84.08	–0.41
3.	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	–	41.62	41.62	41.15	0.47
		तलवाड़ा	6.43	151.75	158.18	125.82	32.36
4.	जोधपुर	लूणी	–9.50	130.70	121.20	106.78	14.42
		फलौदी	5.62	138.50	144.12	135.75	8.37
	योग		**17.73**	**852.44**	**870.17**	**791.78**	**78.39**

2.7.2 उपरोक्त तालिका में दी गयी सूचनानुसार वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कुल 870.17 लाख रुपये की उपलब्ध राशि के विपरीत 791.78 लाख रुपये (91.00 प्रतिशत) व्यय हुये एवं 78.39 (9.00 प्रतिशत) लाख रुपये की राशि 1.4.08 को अवशेष रही। पंचायत समितिवार अवशेष राशि का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति में तलवाड़ा में सर्वाधिक राशि 32.36 लाख रूपये की राशि अवशेष रही तलवाड़ा में बकाया कार्यों की संख्या भी अन्य पंचायतसमितियों की तुलना में अधिक रही। सवाईमाधोपुर पंचायत समिति में जारी राशि के शत–प्रतिशत से भी 0. 41 लाख रुपये की अधिक राशि का उपभोग हुआ, जबकि सवाईमाधोपुर में संदर्भित अवधि में बकाया कार्य 10 पाये गये इससे ऐसा अनुमान होता है कि कार्य की मांग की तुलना में कम राशि उपलब्ध हुई अथवा उपलब्ध राशि से अधिक लागत के कार्य स्वीकृत हुए। अन्य पंचायत समितियों में भी स्वीकृत/जारी राशि के विपरीत 1.4.08 को अवशेष राशि उपलब्ध पायी गयी, लेकिन अवशेष राशि स्वीकार योग्य पायी गई। तथापि पंचायत समितियों को उपलब्ध राशि के अनुसार ही कार्य स्वीकृत करने एवं स्वीकृत कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाने के प्रयास करने चाहिए।

2.8 योजनान्तर्गत करवाये गये कार्य :

2.8.1 चयनित पंचायत समितियों में संदर्भित अवधि में पूर्ण हुये 529 कार्यों की कार्यवार स्थिति निम्नानुसार पायी गयी :–

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति का नाम	सी.सी.रोड़		पानी सप्लाई		बाउन्ड्री–वाल		कमरा निर्माण		सामुदायिक केन्द्र		अन्य		ए.एन.एम. हाऊस / सब–सेन्टर		पंचायत भवन		योग	
			स्वीकृत	कार्य पूर्ण	स्वीकृत	कार्य पूर्ण	स्वीकृत	कार्य पूर्ण	स्वीकृत	कार्य पूर्ण	स्वीकृत	कार्य पूर्ण	स्वीकृत	कार्य पूर्ण	स्वीकृत	कार्य पूर्ण	स्वीकृत	कार्य पूर्ण	स्वीकृत	कार्य पूर्ण
1	अलवर	बहरोड़	31	21	3	2	20	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	42
		मन्डावर	53	48	2	2	21	19	11	9	5	3	1	1	0	0	0	0	93	82
2	सवाईमाधोपुर	गंगापुर	3	3	18	18	8	8	17	16	14	12	3	3	3	3	0	0	66	63
		सवाईमाधोपुर	3	3	4	2	4	3	15	13	15	12	0	0	7	7	0	0	48	40
3	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	5	5	0	0	24	22	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	30	28
		तलवाड़ा	10	8	28	19	1	1	1	1	0	0	29	22	0	0	1	0	70	51
4	जोधपुर	लूणी	6	5	1	1	2	2	2	2	0	0	125	122	0	0	0	0	136	132
		फलौदी	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	93	83	0	0	0	0	101	91
	योग		**111**	**93**	**56**	**44**	**88**	**82**	**46**	**41**	**35**	**28**	**251**	**231**	**10**	**10**	**1**	**0**	**598**	**529**

2.8.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि योजना के तहत करवाये गये कार्यों में सर्वाधिक कार्य सी.सी.रोड़ 93 रहे। सी.सी.रोड़ सम्बन्धी कार्य अलवर जिले में सबसे अधिक करवाये गये, द्वितीय वरीयता बाउन्ड्रीवाल सम्बन्धी कार्यों की रही। बाउन्ड्रीवाल सम्बन्धी 82 पूर्ण कार्यों में 38 कार्य अलवर जिले में करवाये गये। कक्ष निर्माण सम्बन्धी 41 कार्यों में वरीयता दी गयी। कक्ष सम्बन्धी निर्माण कार्य में सवाईमाधोपुर में 41 में से 29 कार्य करवाये गये। इसी प्रकार सामुदायिक भवन निर्माण सम्बन्धी 28 में से 24 कार्य सवाईमाधोपुर जिले में करवाये गये। संक्षेप में पंचायत समितिवार करवाये गये कार्यों की स्थिति निम्नानुसार रही :–

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति का नाम	कुल कार्य	सी.सी. रोड़	पानी सप्लाई	बाउन्ड्री–वाल	कक्ष निर्माण	सामुदायिक भवन	ए एन एम क्वाटर, पंचायत भवन	अन्य
1	अलवर	बहरोड़	42	21	2	19	–	–	–	–
		मन्डावर	82	48	2	19	9	3	–	1
2	सवाईमाधोपुर	गंगापुर	63	3	18	8	16	12	3	3
		सवाईमाधोपुर	40	3	2	3	13	12	7	–
3	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	28	5	–	22	–	1	0	–
		तलवाड़ा	51	8	19	1	1	–	–	22
4	जोधपुर	लूणी	132	5	1	2	2	–	–	122
		फलौदी	91	–	–	8	–	–	–	83
	योग		**529**	**93**	**44**	**82**	**41**	**28**	**10**	**231**

(अन्य– गौशाला, श्मशानघाट निर्माण आदि)

2.8.3 प्राप्त सूचनानुसार स्थानीय आवश्यकता के अनुसार विभिन्न पंचायत समितियों में योजना के तहत करवाये गये कार्यों की प्रवृत्ति निम्न पायी गयी। पंचायत समितियों में स्थानीय मांग उपलब्ध संसाधन एवं आवश्यकता के अनुसार आधारभूत सुविधा निर्माण सम्बन्धी एवं अन्य कार्य करवाये गये।

————

अध्याय तृतीय

अध्ययन निष्कर्ष

3.0 सांसद क्षेत्रीय विकास योजना के तहत् वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक करवाये गये लोक कल्याणकारी कार्यों की उपयोगिता का मूल्यांकन करने हेतु द्विस्तरीय चयन पद्धत्ति का उपयोग किया गया। योजना के तहत् करवाये गये कार्यों की स्थिति उपयोग, स्थल चयन, कार्य की आवश्यकता, व्यय, उपयोग आदि का आंकलन करने हेतु चयनित ग्रामों में हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन मूल्यांकन दल द्वारा किया गया। साथ ही निर्माण प्रक्रिया, उपयोग, निर्माण कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के चयन, देय मजदूरी, कार्य में आने वाली कठिनाइयाँ आदि की जानकारी हेतु चयनित कार्यों में नियमित श्रमिकों एवं कार्य से जुड़ी हुई सरकारी गैर सरकारी वर्ग से भी योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी निर्धारित प्रपत्रों में संकलित की गयी। भरी गयी अनुसूचियों का विवरण निम्नानुसार है :–

सारणी–1
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
का मूल्यांकन (2008–09) की अनुसूचियों का ब्यौरा

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति		प्रलेख अनुसूची			चयनित श्रमिक अनुसूची (लाभ प्राप्तकर्ता)	कार्य अनुसूची	सरकारी/गैर सरकारी अनुसूची		समूह अवलोकन
				जिला प्रलेख	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत			सरकारी	गैर सरकारी	
1	अलवर	1	बहरोड़	–	1	3	30	10	8	5	10
		2	मुण्डावर	1	1	3	30	10	5	3	10
	योग :		**2**	**1**	**2**	**6**	**60**	**20**	**13**	**8**	**20**
2	बांसवाड़ा	1	तलवाड़ा	–	1	2	24	8	4	3	3
		2	कुशलगढ़	1	1	2	9	3	3	2	3
	योग :		**2**	**1**	**2**	**4**	**33**	**11**	**7**	**5**	**6**
3	जोधपुर	1	फलोदी	1	1	2	21	10	4	2	3
		2	लूणी	–	1	2	7	10	3	2	3
	योग :		**2**	**1**	**2**	**4**	**28**	**20**	**7**	**4**	**6**
4	सवाई माधोपुर	1	गंगापुर सिटी	1	1	7	30	10	10	2	9
		2	करमोदा (सवाई माधोपुर)	–	1	4	24	8	–	–	4
	योग :		**2**	**1**	**2**	**11**	**54**	**18**	**10**	**2**	**13**
	कुल योग :		**8**	**4**	**8**	**25**	**175**	**69**	**37**	**19**	**45**

3.1 प्रस्तुत अध्ययन में योजना की समीक्षा/विश्लेषण/सर्वेक्षण परिणाम आदि का विवरण उपरोक्त अनुसूचियों से प्राप्त अभिमत, मूल्यांकन दल के अवलोकन एवं साक्षात्कार के आधार पर किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में प्रथम भाग में चयनित कार्यों की भौतिक सत्यापन के आधार पर योजना के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गयी है एवं द्वितीय भाग में चयनित कार्यों पर नियोजित श्रमिकों से योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के साथ ही ग्राम के लाभान्वित समूह एवं अधिकारी/गैर अधिकारी वर्ग से भी योजना के तहत करवाये गये कार्यों की उपयोगिता, महत्ता, कार्य की आवश्यकता, कार्य में आने वाली कठिनाईयाँ आदि ज्ञात करते हुए योजना की विस्तृत समीक्षा की गयी है।

भाग– 'अ'
(योजनान्तर्गत चयनित कार्य)

3.2.1 मूल्यांकन अध्ययन हेतु योजना के तहत करवाये गये 69 कार्यों का चयन किया गया जिनमें 19 कार्य सड़क निर्माण, 13 कार्य सामुदायिक भवन, 13 कक्षा कक्ष निर्माण, 10 चारदीवारी, 9 पेयजल संबंधी एवं 1–1 कार्य नाली निर्माण एवं पुलिया निर्माण संबंधी था। चयनित कार्यों का जिलेवार एवं पंचायत समितिवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारणी–2

कार्य अनुसूची

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति		सड़क निर्माण	सामुदायिक भवन	चार दीवारी	कमरा निर्माण	पेयजल	उप स्वास्थ्य केन्द्र	नाली निर्माण	पुलिया निर्माण	योग
1	अलवर	1	बहरोड़	8	–	1	–	1	–	–	–	10
		2	मुण्डावर	4	1	3	1	–	–	–	1	10
	योग :		**2**	**12**	**1**	**4**	**1**	**1**	**–**	**–**	**1**	**20**
2	बांसवाड़ा	1	तलवाड़ा	–	4	1	–	2	–	1	–	8
		2	कुशलगढ़	1	1	–	–	1	–	–	–	3
	योग :		**2**	**1**	**5**	**1**	**–**	**3**	**–**	**1**	**–**	**11**
3	जोधपुर	1	फलोदी	1	5	1	3	–	–	–	–	10
		2	लूणी	4	–	1	1	4	–	–	–	10
	योग :		**2**	**5**	**5**	**2**	**4**	**4**	**–**	**–**	**–**	**20**
4	सवाई माधोपुर	1	गंगापुर सिटी	–	1	2	4	1	2	–	–	10
		2	करमोदा	1	1	1	4	–	1	–	–	8
	योग :		**2**	**1**	**2**	**3**	**8**	**1**	**3**	**–**	**–**	**18**
	कुल योग :		**8**	**19**	**13**	**10**	**13**	**9**	**3**	**1**	**1**	**69**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से परिलक्षित होता है कि योजना के तहत् सर्वाधिक चयनित कार्य सड़क निर्माण संबंधी पाये गये। करवाये गये कार्यों में जिलेवार कार्यों की प्राथमिकता अलग–अलग पायी गयी। जैसे चयनित जिले अलवर में चयनित 20 कार्यों में से 12 कार्य सड़क निर्माण संबंधी थे जबकि बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर में चयनित क्रमशः 11 एवं 18 कार्यों में मात्र 1–1 कार्य सड़क निर्माण संबंधी था। जोधपुर जिले में भी 20 स्वीकृत कार्यों में से 5 कार्य सड़क निर्माण संबंधी पाये गये। इनमें भी लूणी पंचायत समिति में 5 में से 4 एवं फलौदी में मात्र 1 कार्य सड़क निर्माण संबंधी चयनित था। इससे यह भी प्रतीत होता है कि अपेक्षाकृत अधिक विकसित जिलों में औद्योगिक विकास के मद्धेनजर सड़कों की मांग अधिक रहती है।

जिलेवार सांसद जिनके कार्यकाल में चयनित कार्य स्वीकृत हुए थे, वे निम्नानुसार थे :–

जिला	**सांसद का नाम**
अलवर	डा. करण सिंह यादव
बांसवाड़ा	श्री धनसिंह रावत
जोधपुर	श्री जसवन्त सिंह विश्नोई
सवाईमाधोपुर	श्री नमोनारायण मीणा

सर्वप्रथम चयनित एवं भौतिक सत्यापित कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर कार्यवार विवेचना सर्वेक्षण परिणाम के प्रथम भाग में की जा रही है :–

(क) **सड़क निर्माण** :

चयनित 69 कार्यों में सर्वाधिक 19 कार्य सड़क निर्माण संबंधी थे। सड़क निर्माण संबंधी समस्त कार्य इसी योजना में स्वीकृत हुए थे। सड़क निर्माण संबंधी कार्यों के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार पाये गये :–

(i) सड़क निर्माण संबंधी 19 कार्यों में 9 कार्य वर्ष 2005–06 में, 3 कार्य 2006–07 में एवं 7 कार्य 2007–08 में स्वीकृत हुए थे।

(ii) चयनित 19 कार्यों में 12 कार्य अलवर, 1 कार्य बांसवाड़ा, 5 जोधपुर एवं 1 कार्य सवाईमाधोपुर जिले में स्वीकृत हुए थे।

(iii) स्वीकृति के विपरीत 2005–06 में 7, 2006–07 में 4 एवं 2007–08 में 8 कार्य प्रारम्भ हुए। वर्षवार स्वीकृति प्रारम्भ एवं पूर्ण कार्यों को निम्नानुसार भी देखा जा सकता है।

	वर्ष			
	2005–06	2006–07	2007–08	योग
स्वीकृत कार्य	9	3	7	19
कार्य प्रारम्भ	7	4	8	19
कार्य पूर्ण	6	5	7	18
कार्य अपूर्ण	–	–	1	1

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2005–06 में 9 कार्य स्वीकृत हुए, जिनमें से 7 प्रारम्भ हुए एवं 6 पूर्ण हुए। वर्ष 2006–07 में तीन नये कार्य स्वीकृत हुए, 4 कार्य प्रारम्भ हुए एवं 5 कार्य (2 गत वर्ष के) पूर्ण हुए। वर्ष 2007–08 में 7 कार्य स्वीकृत हुए, 8 कार्य प्रारम्भ हुए जिनमें से 7 कार्य पूर्ण हुए एवं 1 कार्य सर्वे तिथी तक अपूर्ण पाया गया। सर्वे तिथी को अपूर्ण कार्य अलवर जिले की मुण्डावर पंचायत समिति के ग्राम खांहरी का था। यह कार्य वर्ष 2007–08 में ही स्वीकृत हुआ था एवं दिसम्बर 2007 में कार्य प्राप्त हुआ था। अर्थात पुराने वर्षों का कार्य अपूर्ण नहीं था। अपूर्ण कार्य वित्तीय वर्ष 2007–08 का ही था।

(iv) चयनित 19 कार्यों पर कुल 43.79 लाख रूपये स्वीकृत हुए जिनमें से 40.92 (93.4 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय हुए। अर्थात प्रति कार्य औसत 2.15 लाख रूपये निर्माण कार्य पर व्यय हुए।

(v) व्यय हुई कुल राशि 40.92 लाख रूपये में 15.56 लाख (38.02 प्रतिशत) रूपये श्रम पर एवं 25.36 लाख (61.98 प्रतिशत) रूपये सामग्री पर व्यय हुए। अर्थात श्रम सामग्री पर व्यय का अनुपात लगभग 38–62 पाया गया।

(vi) चयनित 19 कार्यों में से 18 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी हो गये थे। एक कार्य जो अपूर्ण था उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी नहीं हुआ था।

(vii) सर्वेक्षण दल के अभिमतानुसार चयनित समस्त कार्यों का चयन स्थल उपयुक्त पाया गया।

(viii) सर्वे दिनांक को चयनित 19 कार्यों में से 16 कार्यों की स्थिति सन्तोषप्रद पायी गयी। अलवर जिले के बहरोड़ में स्वीकृत 2 कार्यों का निर्माण साधारण स्तर का पाया गया। बहरोड़ के ही एक चयनित स्थल ग्राम खौरी से निर्मित सड़क का निर्माण कार्य अपूर्ण पाया गया क्योंकि सड़क निर्माण का प्रकरण भूमि विवाद के कारण तहसीलदार के यहाँ विचाराधीन था। निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाये गये।

(ix) सर्वे तिथी को 19 में से 18 सड़कों का उपयोग हो रहा था। बहरोड़ के ग्राम खौरी की एक सड़क का कार्य अपूर्ण होने के कारण उपयोग नहीं हो रहा था।

(x) निर्मित 18 सड़कों में सर्वे के समय 3 सड़कें अच्छी स्थिति में पायी गयी जबकि 11 सड़कों पर टूटफूट हो रही थी। सड़कों पर मरम्मत की जरूरत थी। शेष चारों सड़कें काफी क्षतिग्रस्त थी। यद्यपि उनका उपयोग हो रहा था लेकिन उनमें शीघ्र मरम्मत की जरूरत पायी गयी।

(xi) चयनित 19 सड़क निर्माण कार्यों में से 14 कार्यों पर श्रम नियोजन की सूचनाएं प्राप्त हुई इन पर कुल 1457 मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ। जोधपुर जिले के 5 स्वीकृत कार्यों पर नियोजित श्रमिकों की सूचनाऐं कार्यस्थल पर उलपब्ध रिकॉर्ड से प्राप्त नहीं हो पायी थी क्योंकि जिला जोधपुर में कार्य अकाल राहत में करवाया गया था। इसलिये नियोजित श्रमिकों की संख्या एवं उनसे संबंधित अन्य सूचनाओं को एकजाही करना सम्भव नहीं हो पाया। जोधपुर जिले के स्वीकृत कार्यों से नियोजित श्रमिकों की संख्या को कम करते हुए शेष तीन जिलों में नियोजित कुल 365 श्रमिक पाये गये।

(xii) अलवर, सवाईमाधोपुर एवं बांसवाड़ा के चयनित कार्यस्थलों से प्राप्त सूचना के अनुसार नियोजित 365 श्रमिकों में 92 (25.20 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 37 (10.14 प्रतिशत) जनजाति एवं 236 (64.66 प्रतिशत) श्रमिक सामान्य जाति के थे।

(xiii) नियोजित 365 श्रमिकों में 70(19.2 प्रतिशत) महिलाएँ एवं 295 (80.8 प्रतिशत) पुरूष थे।

(xiv) नियोजित 365 श्रमिकों में 62(17.0 प्रतिशत) बी.पी.एल. एवं 303 (83.0 प्रतिशत) ए.पी.एल. श्रेणी के श्रमिक पाये गये।

(xv) नियोजित 365 श्रमिकों में 227 (62.2 प्रतिशत) श्रमिक स्थानीय थे जबकि 138 (37.8 प्रतिशत) श्रमिक गांव के बाहर के थे। गांव के बाहर के 138 श्रमिक अलवर जिले के थे जबकि बांसवाड़ा एवं सवाईमाधोपुर में नियोजित शत प्रतिशत श्रमिक स्थानीय थे। चयनित 19 कार्यस्थलों में से 5 स्थलों पर मजदूरी का भुगतान नकद एवं सामग्री दोनों रूपों में किया गया। शेष 14 स्थानों पर मजदूरी का भुगतान टास्क के अनुसार नकद राशि के रूप में किया गया। यह कार्य ठेकेदार के माध्यम से करवाया गया था। ठेकेदार द्वारा बी एस आर दर बढ़ने से कार्य पूर्ण नहीं किया गया।

(xvi) निर्माण कार्यों पर मुख्यतः निर्माण के पश्चात् रखरखाव की कमी, सड़कों पर अतिक्रमण, चयन स्थल के संबंध में भूमि विवाद, ग्राम पंचायतों द्वारा रखरखाव में लापरवाही आदि कठिनाईयाँ पायी गयी।

(ख) **सामुदायिक भवन** :

चयनित 69 कार्यों में 13 कार्य सामुदायिक भवन निर्माण संबंधी कार्य चयनित हुए थे। चयनित 13 सामुदायिक भवनों में 1 अलवर, 5 बांसवाड़ा, 5 जोधपुर एवं 2 सवाईमाधोपुर जिले के पाये गये। सामुदायिक भवन निर्माण के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार पाये गये :–

(i) चयनित सभी सामुदायिक भवन इसी योजना में स्वीकृत हुए थे। कोई भी भवन किसी अन्य योजना में पूर्व में स्वीकृत नहीं था।

(ii) स्वीकृत 13 सामुदायिक भवनों में 4 भवन 2005–06 में, 5 भवन 2006–07 में एवं 4 भवन 2007–08 में स्वीकृत हुए थे।

(iii) चयनित 13 भवनों में सर्वे तिथी (फरवरी 2009) को 11 भवन पूर्ण एवं 2 भवन अपूर्ण पाये गये। 1 अपूर्ण भवन पर निर्माण कार्य चल रहा था। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ पंचायत समिति के ग्राम महिकमपुरा में स्वीकृत सामुदायिक भवन पर सर्वे तिथी को निर्माण कार्य चल रहा था। यह भवन 16.6.05 में स्वीकृत हुआ

था। इसी प्रकार जोधपुर जिले की फलोदी पंचायत समिति के ग्राम आऊ में सामुदायिक भवन अपूर्ण पाया गया। यह भवन 2007–08 में स्वीकृत हुआ था एवं अगस्त 2008 में कार्य प्रारम्भ हुआ था। इस स्थल पर कार्य चल रहा था। जबकि सर्वे तिथि तक कार्य स्वीकृत/प्रारम्भ हुए लगभग 7 माह से अधिक का समय बीत चुका था।

(iv) चयनित 13 सामुदायिक केन्द्रों पर कुल 45.08 लाख रूपये स्वीकृत हुए थे। जिसमें 7.22 (16.01 प्रतिशत) लाख रूपये श्रम पर एवं 37.86 (83.99 प्रतिशत) लाख रूपये सामग्री पर स्वीकृत हुए थे।

(v) स्वीकृत 45.08 लाख रूपये में से 44.51 (98.74 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय हुए। व्यय राशि में 8.00 लाख रूपये (17.97 प्रतिशत) श्रम पर एवं 36.51 (82.03 प्रतिशत) लाख रूपये सामग्री पर व्यय हुए। श्रम की तुलना में सामग्री पर व्यय लगभग चार गुना अधिक पाया गया, जो कि ग्रामीण निर्देशिका के अनुरूप नहीं पाया गया।

(vi) चयनित 13 सामुदायिक केन्द्रों में से 11 कार्यों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका था। 2 केद्रों (कुशलगढ़ एवं फलोदी) पर कार्य अपूर्ण था। अतः उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी नही हुए थे।

(vii) सर्वेक्षण दल के अभिमत एवं मौके के अवलोकन के आधार पर भी कार्यों का चयन स्थल उपयुक्त पाया गया।

(viii) चयनित 13 सामुदायिक केन्द्रों के 12 स्थलों पर नये भवन का निर्माण हुआ था। अलवर जिले के मुण्डावर पंचायत समिति के ग्राम रडवा में पहले से सामुदायिक भवन था लेकिन उस भवन की हालत जर्जर थी। योजनान्तर्गत वहाँ नवीन निर्माण करवाया गया।

(ix) सर्वेक्षण दल के अवलोकन के आधार पर 13 में से 8 सामुदायिक भवन का कार्य पूर्ण उपयुक्त एवं उपयोगी था। सवाईमाधोपुर जिले के चकेरी ग्राम में स्वीकृत कार्य भवन निर्माण का था। परन्तु वहाँ खुली चौपाल बनायी गयी थी, जो स्वीकृति के आधार पर सही नहीं पायी गयी। 2 स्थलों पर कार्य अपूर्ण होने से उपयोग नहीं पाया गया। बांसवाड़ा के तलवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम तमटिया में योजनान्तर्गत बरामदे बनाये गये हैं। सामुदायिक भवन से विस्तार कार्य किया गया था लेकिन छत पूरी नहीं डली हुई थी। भवन में दरवाजे नहीं लगे हुए थे। बकाया कार्य किसी अन्य योजना में शीघ्र पूर्ण करवाने चाहिये।

(x) चयनित 13 कार्यों में 10 केन्द्रों के निर्माण का स्तर अच्छा पाया गया था। तीन स्थलों पर निर्माण साधारण किस्म का पाया गया। जिनमें दो कार्य अपूर्ण भी थे।

(xi) चयनित 13 केन्द्रों में से 6 केन्द्रों पर सम्पत्ति का रखरखाव काफी अच्छा एवं 7 पर सामान्य श्रेणी का था।

(xii) चयनित 13 केन्द्रों में से 1 स्थल (कुशलगढ़, बांसवाड़ा) में कार्य ठेकेदार द्वारा करवाया गया था। अतः श्रमिक एवं कार्य दिवस की सूचना उपलब्ध नहीं थी। शेष 12 स्थानों पर कुल 527 दिवस तक का रोजगार सृजित हुआ था एवं 303 श्रमिक नियोजित किये गये थे।

(xiii) नियोजित कुल 303 श्रमिकों में 46(15.2 प्रतिशत) अनुसूचित जाति 158 (52.1 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति एवं 99(32.7 प्रतिशत) अन्य जाति के श्रमिक थे। बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ा पंचायत समिति में नियोजित कुल 176 श्रमिकों में 143(81.25 प्रतिशत) श्रमिक अनुसूचित जनजाति के पाये गये। बांसवाड़ा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने से यहाँ नियोजित श्रमिकों में जनजाति श्रमिकों की संख्या अधिक पायी गयी।

(xiv) नियोजित 303 श्रमिकों में 83(27.39 प्रतिशत) महिलाएँ एवं 220 (72.61 प्रतिशत) पुरूष थे।

(xv) नियोजित 303 श्रमिकों में 121 (39.93 प्रतिशत) बी.पी.एल. एवं 182(60.07 प्रतिशत) ए.पी.एल. श्रेणी के श्रमिक थे। अर्थात योजना के तहत् महिलाओं, ए.पी.एल., बी.पी.एल. सभी को नियोजित किया गया।

(xvi) नियोजित 303 श्रमिकों में 298 श्रमिक स्थानीय एवं मात्र 5 श्रमिक बाहर के थे। अर्थात योजनान्तर्गत स्थानीय रोजगार को प्रमुखता दी गयी।

(xvii) श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान टॉस्क के अनुसार 76 रूपये या इससे अधिक किया गया। श्रम का भुगतान 2 स्थानों पर नकद एवं अनाज के रूप में एवं शेष स्थानों पर नकद तय मानदण्डानुसार किया गया।

(xvii) अध्ययन दल के अवलोकनानुसार 13 स्थलों में से 3 स्थलों पर कमियाँ अनुभव की गयी। एक स्थान पर भवन में दरवाजे नही लगने से भवन की सुरक्षा में कठिनाई हो रही थी। एक स्थान पर ठेकेदार द्वारा बी.एस.आर. रेट कम होने

से कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया एवं एक केन्द्र (चकेरी, सवाईमाधोपुर) पर साईड से दीवार नहीं होने से धूप व वर्षा से बचाव नहीं होना पाया गया। यदि अब भी कार्य अपूर्ण हो तो विभाग का इन कार्यस्थलों पर अपेक्षित कार्य शीघ्र पूर्ण करवाकर भवनों की उपयोगिता सुनिश्चित करनी चाहिये।

(ग) **कक्ष/बरामदा निर्माण** :

चयनित 69 कार्यों में 13 कार्य कमरा निर्माण संबंधी थे, जिनका विवेचन निम्नानुसार पाया गया :–

(i) चयनित 13 कमरों के निर्माण में 8 कमरे सवाईमाधोपुर, 4 जोधपुर एवं 1 कमरा अलवर जिले में बनवाया गया था। सवाईमाधोपुर जिले में विद्यालयों में कमरा निर्माण कार्य को अधिक प्राथमिकता दी गयी।

(ii) चयनित 13 कमरों के निर्माण में से 4 कमरों के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2005–06, 6 की स्वीकृति 2006–07 एवं 3 की स्वीकृति 2007–08 में दी गयी थी।
(करवाये गये कार्यों की विस्तृत सूचना परिशिष्ट II पर उपलब्ध है)

(iii) चयनित 13 कार्यों में 12 विद्यालयों एवं 1 पशु चिकित्सालय में कमरा/बरामदा का निर्माण करवाया गया।

(iv) परिशिष्ट II में दी गयी सूचनानुसार चयनित 13 में से 1 कार्य की स्वीकृति प्रारम्भ एवं पूर्ण संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। शेष 12 में से 10 कार्य कार्य स्वीकृति के 6 माह में पूर्ण हो गये थे। मात्र 2 कार्यों में 6 माह से 1 वर्ष तक की अवधि में कार्य पूर्ण हुए थे। अर्थात योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य समय पर पूर्ण करवाये गये।

(v) चयनित 13 कार्यों पर कुल 33.80 लाख रूपये स्वीकृत हुए। स्वीकृति के विपरीत 33.05(97.78 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय हुए।

(vi) व्यय राशि 33.05 में 8.87 (26.84 प्रतिशत) लाख श्रम पर एवं 24.18 (73.16 प्रतिशत) लाख रूपये सामग्री पर व्यय हुए। कमरा निर्माण में श्रम पर सामुदायिक भवन निर्माण (17.92 प्रतिशत) की तुलना में व्यय अपेक्षाकृत अधिक रहा।

(vii) चयनित शत प्रतिशत कार्य इसी योजना के तहत स्वीकृत थे। कोई भी कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना में स्वीकृत नहीं था।

(viii) सर्वे तिथि तक चयनित 13 में से 12 कार्य पूर्ण हो गये थे। सवाईमाधोपुर जिले की गंगापुर पंचायत समिति के ग्राम चकेरी में निर्मित कक्ष हेतु 2 लाख रूपये की राशि की स्वीकृति के विपरीत 1.00 लाख रूपये ही प्राप्त होने से कार्य अपूर्ण था। वर्क फाईल भी कार्य स्थल पर उपलब्ध नहीं पायी गयी थी। निर्माण कार्य पटाव तक हुआ था। प्लास्टर, खरन्जा, छत, किंवाड़ आदि सभी कार्य बाकी था।

(ix) चयनित 13 कार्यों में से 10 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी हो गये थे। 1 कार्य अपूर्ण था एवं 2 कार्य पूर्ण हो गये थे। लेकिन उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी नहीं हुए थे। दोनों कार्य जिनके उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी नहीं हुए थे वे सवाईमाधोपुर जिले के सूरवाल ग्राम के कार्य थे। जबकि दोनों कार्य क्रमशः जून, 2007 एवं जनवरी 2008 तक पूर्ण हो गये थे। विभाग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्य समाप्त होने के आगामी 3 माह में भिजवाने की व्यवस्था करनी चाहिये। जिससे करवाये गये जन उपयोगी कार्यों का जनता को समय पर लाभ मिले एवं निर्मित सम्पत्ति का क्षय नहीं हो।

(x) सर्वेक्षण के समय चयनित कार्यों के लिए कार्यों का चयन उपयुक्त पाया गया। विद्यालयों में कमरों/बरामदों के निर्माण से छात्रों के बैठने की सुविधा में वृद्धि हुई। विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता थी।

(xi) सर्वे तिथी को चयनित 13 में से 12 विद्यालयों में करवाये गये कमरों का उपयोग हो रहा था एवं कार्य करवाने से विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि हुई थी। अतिरिक्त कमरे के निर्माण से अध्यापकों के बैठने का कमरा, अध्यापन हेतु कमरा एवं मिड–डे मील व अनाज रखने, बरामदे से वर्षा एवं धूप से बचाव हुआ था।

(xii) मूल्यांकन दल के सर्वेक्षणानुसार चयनित 13 में से 7 निर्मित कार्य का निर्माण अच्छा पाया गया। 5 कार्य का निर्माण साधारण स्तर का पाया गया। 1 कार्य अपूर्ण ही था।

(xiii) मूल्यांकन दल के अवलोकन के अनुसार सम्पत्तियों के रखरखाव में कमी पायी गयी। अधिकांश स्थलों पर विद्यालय प्रशासन, ग्रामीण एवं छात्र सम्पत्तियों के रखरखाव में रूचि नहीं लेते जिससे सम्पत्तियों का नुकसान हो जाता है।

(xiv) चयनित 13 में से 12 कार्यों पर श्रमिकों की सूचना उपलब्ध हुई। इन 12 कार्यों पर कुल 341 श्रमिक नियोजित किये गये एवं कुल 766 दिवस तक कार्य हुआ। (एक स्थान पर अकाल राहत में कार्य होने से श्रम नियोजन की सूचना नहीं दी गयी)

(xv) नियोजित 341 श्रमिकों में 123 (36.1 प्रतिशत)अनुसूचित जाति एवं 86(25.2 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति एवं 132 (38.7 प्रतिशत) सामान्य जातियों के श्रमिक थे। सवाईमाधोपुर में अनुसूचित जाति जनजाति के श्रमिकों का बाहुल्य था।

(xvi) नियोजित 341 श्रमिकों में 54 (15.8 प्रतिशत) महिलाएं व 287 (84.2 प्रतिशत) पुरूष थे।

(xvii) नियोजित 341 श्रमिकों में 38 बी.पी.एल. एवं 30 ए.पी.एल. श्रेणी के श्रमिक थे। अर्थात सवाईमाधोपुर में ए.पी.एल. श्रमिकों की संख्या अधिक पायी गयी। क्योंकि चयनित 13 कार्यों में 8 कार्य सवाईमाधोपुर जिले के थे।

(xvii) नियोजित 341 श्रमिकों में 329 (96.5 प्रतिशत) श्रमिक स्थानीय एवं मात्र 12 (3.5 प्रतिशत) श्रमिक अन्य स्थानों के थे। इससे स्पष्ट है कि स्थानीय श्रमिकों को रोजगार दिया गया था।

(xviii) श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान टास्क के अनुसार नकद एवं अनाज दोनों रूपों में किया गया था। जोधपुर के तीन कार्यस्थलों पर नकद+अनाज एवं शेष पर नियमानुसार न्यूनतम 76 रूपये एवं अधिक मजदूरी दी गयी।

(xix) योजनान्तर्गत निर्माण कार्य करवाने में स्वीकृत राशि समय पर प्राप्त नहीं होना, निर्मित परिसम्पत्तियों के रखरखाव में लापरवाही, स्वीकृति के अनुसार निर्माण कार्य नहीं होना (कक्ष निर्माण के स्थान पर चौपाल बनाना) भवन की सुरक्षा के इन्तजाम नहीं होने से (दरवाजे, जालियाँ नहीं होना) से असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण आदि मुख्य कठिनाईयाँ पायी गयी।

(घ) **पेयजल सुविधा हेतु पी एल आर टंकी, पाइपलाइन आदि का निर्माण** :

चयनित 69 कार्यों में 9 पेयजल संबंधी कार्य स्वीकृत किये गये थे। जिनके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार पाये गये :–

(i) चयनित 9 कार्यों में 1 अलवर, 3 कार्य बांसवाड़ा, 4 जोधपुर एवं 1 सवाईमाधोपुर में करवाया गया था।

(ii) चयनित कार्य का प्रारम्भ पूर्ण एवं ग्रामवार सूचना निम्नानुसार पायी गयी :–

क्र. सं.	चयनित जिला	अनुशंषाकर्ता सांसद	ग्राम का नाम	कार्य	कार्य प्रारम्भ	कार्य पूर्ण	पूर्णावधि
1	अलवर	डा. करणसिंह यादव	पटगोवड़ा (बहरोड़)	पी एल आर टंकी पाइप लाईन	जुलाई 2007	फरवरी, 2008	8 माह
2	बांसवाड़ा	श्री धनसिंह रावत	मटिया (तलवाड़ा)	सार्वजनिक कुआं	अक्टूबर, 2006	जुलाई, 2007	9 माह
3	बांसवाड़ा	श्री धनसिंह रावत	सियापुर	सार्वजनिक कुआं	जुलाई, 2006	मई, 2007	11 माह
4	बांसवाड़ा	श्री धनसिंह रावत	भीकली (कुशलगढ़)	सार्वजनिक कुआं	सितम्बर 2005	जनवरी 2007	17 माह
5	जोधपुर	श्री जसवन्त सिंह विश्नोई	मगनामनी (लूणी)	सार्वजनिक टांका	मार्च 2006	मई 2006	3 माह
6	जोधपुर	श्री जसवन्त सिंह विश्नोई	गुडा विश्नोई (लूणी)	सार्वजनिक टांका	अगस्त, 2005	जनवरी, 2006	6 माह
7	जोधपुर	श्री जसवन्त सिंह विश्नोई	गुडा विश्नोई (लूणी)	सार्वजनिक टांका	मार्च, 2006	जुलाई, 2006	5 माह
8	जोधपुर	श्री जसवन्त सिंह विश्नोई	खेजड़ली कलां लूणी	सार्वजनिक टांका	मार्च, 2006	मई, 2006	3 माह
9	सवाईमाधोपुर	श्री नमोनारायण मीणा	जयसिंह पुरा (गंगापुर सिटी)	कुआं गहरा करना	फरवरी, 2006	मार्च, 2008	2 वर्ष

उपरोक्त सूचनानुसार पेयजल योजना में 3 सार्वजनिक कुऐ, 4 सार्वजनिक टांके एवं 1 टंकी एवं 1 कुऐं को गहरा करवाने का कार्य करवाया गया।

(iii) चयनित 9 कार्यों में 3 कार्य 6 माह की अवधि में, 4 कार्य 6 से 12 माह की अवधि में एवं 1 कार्य 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण हुए।

(iv) चयनित कार्यों में कुल 7.12 लाख रूपये स्वीकृत हुए एवं 6.98 लाख (98.03) रूपये व्यय हुए। व्यय राशि में 2.55 (36.5 प्रतिशत) लाख रूपये श्रम पर एवं 4.43 (63.5 प्रतिशत) लाख रूपये सामग्री पर व्यय हुए।

(v) चयनित सभी कार्यों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी हो गये थे।

(vi) चयनित 9 में से 8 कार्यों का चयन सही पाया गया। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुरसिटी में कुऐं को गहरा करवाने का लाभ किसी को नहीं हो रहा था क्योंकि कुआं प्राथमिक विद्यालय में स्थित था एवं उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। विद्यालय पर अतिक्रमण था एवं विद्यालय में मवेशी बंधे पाये गये थे। कुऐं की गहराई कम होने पर पानी की उपलब्धता भी कम बतायी गयी। कुऐं को और गहरा करने की अनुशंषा की गयी।

(vii) योजनान्तर्गत चयनित 2 कुओं को पक्का करवाया गया था। पूर्व में कुऐं कच्चे थे।

(viii) चयनित 9 कार्यों में 8 कार्य पूर्ण एवं उपयोगी पाये गये एक कुए का उपयोग नहीं पाया गया। 1 स्थान पर कुए के अन्दर प्लास्टर करवाने का सुझाव भी दिया गया।

(ix) चयनित समस्त कार्यों को उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी हो गये थे।

(x) चयनित 9 कार्यों में से 3 कार्यों पर (जोधपुर, लूणी) नियोजित श्रमिकों की सूचना नहीं थी क्योंकि अकाल राहत में कार्य होने से मस्ट्रोल तहसील में जमा हो गये थे, 6 कार्यों के लिए 337 श्रमिकों का नियोजन किया गया एवं कुल 378 दिवस तक कार्य पूर्ण हुए।

(xi) नियोजित श्रमिकों में 23 (6.8 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 274 (81.3 प्रतिशत) जनजाति एवं 40(11.9 प्रतिशत) सामान्य जाति के श्रमिक थे।

(xii) नियोजित 337 श्रमिकों में 75 (22.3 प्रतिशत) महिलाएँ एवं 262 (77.7 प्रतिशत) पुरूष थे।

(xiii) नियोजित 337 श्रमिकों में 203 (60.2 प्रतिशत) बी.पी.एल. एवं 134 (39.8 प्रतिशत) ए.पी.एल. श्रेणी के श्रमिक थे।

(xiv) नियोजित 337 श्रमिकों में 322(95.5 प्रतिशत) स्थानीय एवं 15 (4.5 प्रतिशत) बाहर के श्रमिक थे।

(xv) श्रमिकों को देय मजदूरी नकद व सामग्री दोनों रूपों में दी गयी थी। जोधपुर की लूणी पंचायत समिति में चयनित 3 कार्यों पर मजदूरी नकद+अनाज दोनों रूपों में एवं शेष पर टास्क के अनुसार 76 रूपये अथवा अधिक नियमानुसार नकद राशि दी थी। अकाल राहत में मजदूरी नकद+अनाज दोनों रूपों में दी गयी।

(xvi) एक सार्वजनिक कुए की गहराई कम होने, उपयुक्त स्थान पर चयन नहीं होने से उपयोग नहीं होना एवं संस्थान पर अतिक्रमण संबंधी कठिनाई पायी गयी।

(xvii) सर्वेक्षण दल के अवलोकन के आधार पर कुए को गहरा करवाना, सार्वजनिक संस्थानकी सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायतों को जिम्मेदार बनाने, अतिक्रमण करने वालों को दण्डित करने एवं कुओं पर प्लास्टर करवाने के सुझाव प्राप्त हुए।

(ड.) **चारदीवारी** :

चयनित 69 कार्यों में 10 कार्य चारदीवारी निर्माण संबंधी करवाये गये थे। चारदीवारी संबंधी कार्य के मुख्य मुख्य बिन्दु निम्नानुसार पाये गये :–

(i) चयनित 10 कार्यों में चारदीवारी संबंधी 4 कार्य अलवर, 1 बांसवाड़ा, 2 जोधपुर एवं 3 सवाईमाधोपुर में करवाये गये थे।

(ii) चयनित 10 कार्यों का स्थान चयन, स्वीकृत/पूर्ण संबंधी सूचना निम्नानुसार पाई गई :–

क्र. सं.	जिला	ग्राम का नाम	सांसद का नाम	कार्य प्रारम्भ	पूर्ण	कार्यस्थल
1	अलवर	नाहरवाड़ा (मुंडावर)	श्री करणसिंह	मार्च 2005	जनवरी 2006	स्कूल ग्राउण्ड
2	अलवर	भुनगडढ़ा अहीर (मुण्डावर)	श्री करणसिंह	अगस्त 2006	जनवरी 2007	उप स्वास्थ्य केन्द्र
3	अलवर	सानौली (मुण्डावर)	श्री करणसिंह	नवम्बर 2006	जुलाई 2007	खेल मैदान
4	अलवर	मोमनपुर (बहरोड़)	श्री करणसिंह	अप्रेल 2005	अगस्त 2005	खेल मैदान
5	बांसवाड़ा	सियापुर (तलवाड़ा)	श्री धनसिंह रावत	अक्टूबर 2007	दिसम्बर 2007	उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास
6	जोधपुर	आऊ (फलौदी)	श्री नारायणसिंह माणकलाव	अक्टूबर 2007	कार्य अपूर्ण है।	शमशान घाट
7	जोधपुर	खेजड़ली कला (लूणी)	श्री जसवन्त सिंह विश्नोई	फरवरी 2006	जून 2006	सार्वजनिक सभा भवन की चारदीवारी
8	सवाईमाधोपुर	चिरोल की ढाणी (गुगापुर)	श्री नमोनारायण मीणा	जून 2006	नवम्बर 2006	शमशान की चारदीवारी
9	सवाईमाधोपुर	टोटोलाई (गंगापुर)	श्री नमोनारायण मीणा	फरवरी 2006	अप्रेल 2008	शमशान की चारदीवारी
10	सवाईमाधोपुर	करमोदा (सवाईमाधोपुर)	श्री नमोनारायण मीणा	अप्रेल 2006	जुलाई 2006	शमशान की चारदीवारी

(iii) उपरोक्त सूची के अनुसार चयनित 10 चारदीवारी में 4 चारदीवारियाँ शमशान घाट पर, 2 विद्यालयों की, 2 खेल मैदान की एवं 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 सार्वजनिक सभा भवन की निर्मित करवायी गयी थी।

(iv) चयनित 10 चारदिवारियों में 6 चारदीवारियाँ 6 माह की अवधि में, 2 6 माह से 1 वर्ष की अवधि में, 1 2 वर्ष से अधिक अवधि में पूर्ण हुए थे। 1 कार्य अपूर्ण पाया गया। अपूर्ण पाया गया कार्य अक्टूबर, 2007 का स्वीकृत था।

(v) चयनित 10 कार्यों के लिए कुल 19.45 लाख रूपये स्वीकृत हुए। जिनमें 17.67 लाख (90.8 प्रतिशत) व्यय हुए।

(vi) व्यय राशि 17.67 में 5.70 लाख रूपये (32.26 प्रतिशत) श्रम पर, 11.97 लाख रूपये (67.74 प्रतिशत) सामग्री पर व्यय हुए।

(vii) चयनित 10 में से 9 कार्यों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया एवं जोधपुर जिले में फलौदी के ग्राम आऊ में शमशान घाट पर चारदीवारी निर्माण का सर्वे तिथी (18.2.09) को अपूर्ण पाया गया। शमशान घाट पर नींव खोदने का कार्य हुआ था। बाकी पत्थर पड़े थे। कार्य रूका हुआ पाया गया। जबकि यह अक्टूबर 2007 में स्वीकृत हुआ एवं जनवरी 2008 में कार्य प्रारम्भ हो गया था। कार्य प्रारम्भ से 1 वर्ष पश्चात् तक कार्य अपूर्ण था। विभाग को अपूर्ण रहने के कारण ज्ञात कर स्वीकृत कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

(viii) चयनित 10 कार्यों में 8 कार्यों का चयन उपयुक्त पाया गया। अलवर के मुण्डावर पंचायत समिति के ग्राम नाहरखेड़ा एवं सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी के ग्राम टोटालाई में करवाये गये कार्य का चयन सही नहीं पाया गया। सर्वेक्षण दल के अनुसार ग्राम नाहरवाड़ा में विद्यालय पर ग्राम वालों का अतिक्रमण पाया गया। इसी प्रकार ग्राम टोटालाई में शमशान घाट पर करवाया गया चारदीवारी का कार्य उपयुक्त नहीं पाया गया। शमशान घाट पर ग्रामीणों का अतिक्रमण किया हुआ है एवं पशु बांधे गये थे। चारदीवारी अपूर्ण होने से बनायी गयी चारदीवारी का उपयोग समाप्त हो गया था।

(ix) सर्वेक्षण दल के सर्वे के समय के अवलोकन में पाया गया कि यद्यपि 10 में से 9 चारदीवारियों का कार्य पूर्ण हो गया था पर अलवर के मुण्डावर में विद्यालय भवन की चारदीवारी का कार्य उपयुक्त नहीं था। भवन पर गांव वालों का कब्जा था। इसी प्रकार सवाईमाधोपुर के टोटलाई ग्राम में भी शमशान में चारदीवारी

निर्माण कार्य अनुपयोगी पाया गया था। यहाँ भी शमशान घाट पर अतिक्रमण पाया गया। शेष स्थलों पर चारदीवारी निर्माण से सुरक्षा एवं अतिक्रमण से सुरक्षा पायी गयी।

(x) चयनित 10 में से 5 निर्माण कार्य की स्थिति सन्तोषप्रद पायी गयी। 4 की साधारण एवं 1 की अपूर्ण पायी गयी।

(xi) चयनित 10 कार्यों में से 1 लूणी (जोधपुर) में नियोजित श्रमिकों की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी क्योंकि श्रमिक अकाल राहत में लगाये गये थे। शेष 9 कार्योर्ं पर 335 श्रमिक नियोजित किये गये थे।

(xii) नियोजित 335 श्रमिकों द्वारा कुल 456 दिवस में कार्य पूर्ण किया गया।

(xiii) नियोजित 335 श्रमिकों में 55 (16.4 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 193 (57.6 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति एवं 87 (26.0 प्रतिशत) अन्य जाति के श्रमिक थे। बांसवाड़ा में चयनित कार्य पर 176 श्रमिकों में से 156 श्रमिक जनजाति के पाये गये। बांसवाड़ा में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने से यहाँ श्रमिकों में जनजाति श्रमिक अधिक नियोजित हुए।

(xiv) नियोजित 335 श्रमिकों में 93 (27.8 प्रतिशत) महिलाएँ एवं 242 (72.2 प्रतिशत) पुरूष थे।

(xv) नियोजित श्रमिकों में 179 (53.4 प्रतिशत) बी.पी.एल. एवं 156 (46.6 प्रतिशत) ए. पी.एल. श्रेणी के श्रमिक थे।

(xvi) नियोजित 335 श्रमिकों में 298 (89.0 प्रतिशत) स्थानीय एवं 37 (11.0 प्रतिशत) बाहरी श्रमिक थे। गांव के बाहर के 37 ही श्रमिक अलवर जिले के थे। अलवर औद्योगिक जिला होने के कारण गांव में श्रमिकों की कमी सम्भव हो सकती है। हरियाणा एवं दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों से नजदीक होने से यहाँ के स्थानीय निवासी मजदूरी के लिये इन राज्यों में पलायन करते हैं।

(xvii) चयनित 10 में से 9 स्थानों पर टास्क के अनुसार नकद एवं 1 स्थान लूणी में नकद के साथ अनाज के रूप में भी मजदूरी दी गयी थी।

(xviii) राशि समय पर प्राप्त नहीं होना, आवश्यकता के अनुसार राशि नहीं प्राप्त होना, कम राशि प्राप्त होना, अतिक्रमण, कार्य हेतु अनुपयुक्त स्थल का चयन आदि मुख्य कठिनाईयाँ पायी गयी।

(xix) अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही एवं आवश्यकता के अनुरूप पूर्ण कार्य के लिए राशि स्वीकृत करना आदि प्रस्तावित किया गया। क्योंकि चारदीवारी पूरी नहीं बनने से चारदीवारी का प्रयोजन ही समाप्त हुआ पाया गया।

(च) **उप स्वास्थ्य केन्द्र/नाली/पुलिया** :

चयनित 69 कार्यों में 5 कार्य स्वीकृत हुए जिनमें से 3 उप स्वास्थ्य/ए एन एम क्वाटर केन्द्र निर्माण, 1 नाली एवं 1 पुलिया निर्माण का कार्य भी चयनित था। जिनके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार पाये गये :–

(i) चयनित तीनों उप स्वास्थ्य केन्द्र सवाईमाधोपुर जिले, नाली निर्माण बांसवाड़ा एवं पुलिया निर्माण का कार्य अलवर में करवाया गया था।

(ii) उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति सांसद श्री नमोनारायण मीणा, नाली निर्माण श्री धनसिंह रावत एवं पुलिया निर्माण की अनुशंषा श्री करण सिंह यादव द्वारा की गयी थी।

(iii) उप स्वास्थ्य केन्द्र, नाली निर्माण एवं पुलिया निर्माण में कार्यस्थल, कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण सम्बन्धी सूचना निम्नानुसार पायी गयी :–

क्र. सं.	जिले का नाम	कार्य का नाम	स्थान/ग्राम का नाम	कार्य प्रारम्भ	कार्य पूर्ण	अवधि
1	सवाईमाधोपुर	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	रावल (सवाई माधोपुर पंचायत समिति)	जून 2005	जुलाई 2006	13 माह
2	सवाईमाधोपुर	ए एन एम क्वाटर	सलेमपुर (गंगापुरसिटी)	फरवरी 2007	मार्च 2008	13 माह
3	सवाईमाधोपुर	ए एन एम केन्द्र निर्माण	हींगोटिया (गंगापुर सिटी)	नवम्बर 2007	जनवरी 2008	3 माह
4	बांसवाड़ा	सिंचाई नाली निर्माण	टामटिया (तलवाड़ा)	अक्टूबर 2007	जून 2008	9 माह
5	अलवर	पुलिया निर्माण	रसगन (मुन्डावर)	अप्रेल 2007	जुलाई 2007	4 माह

उपरोक्त सूचनानुसार उप स्वास्थ्य केन्द्रों ए एन एम के भवन निर्माण में लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय लगा। कक्ष निर्माण में 3 माह एवं पुलिया, नाली आदि में 4–9 माह का समय लगा। कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण कार्य में लगा समय उचित प्रतीत होता है।

(iv) चयनित 5 निर्माण कार्यों पर कुल 12.87 लाख रूपये स्वीकृत हुए, जिसके विपरीत 12.87 लाख रूपये (100 प्रतिशत) व्यय हुए।

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	**मद**	**स्वीकृत राशि**	**व्यय राशि**	**श्रम पर व्यय**	**सामग्री पर व्यय**
1	उप स्वास्थ्य केन्द्र, ए एन एम क्वाटर एवं ए एन एम केन्द्र निर्माण	5.58	5.58 (100 %)	1.74	3.84
2	नाली निर्माण	4.00	4.00 (100 %)	0.87	3.13
3	पुलिया निर्माण	3.29	3.29 (100 %)	0.82	2.47
	योग :	**12.87**	**12.87**	**3.43**	**9.44**
			100 %	**(26.65 %)**	**(73.35%)**

(v) चयनित 5 कार्यों पर शत प्रतिशत राशि व्यय हुई। व्यय राशि में 26.65 प्रतिशत राशि श्रम एवं 73.35 प्रतिशत राशि सामग्री पर व्यय हुई।

(vi) सर्वे तिथी तक चयनित 5 कार्यों में से 4 के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी हो गये थे। बांसवाड़ा जिले में स्वीकृत नाली निर्माण के कार्य का प्रमाण–पत्र जारी नहीं हुआ था। सर्वे तिथी तक (सितम्बर, 2008) तक कार्य पूर्ण हुए लगभग तीन माह का समय व्यतीत हुआ था। विभाग द्वारा शीघ्र उपयोगिता प्रमाण–पत्र भिजवाने की व्यवस्था करना बताया गया।

(vii) सर्वेक्षण दल के अभिमतानुसार करवाये गये सभी कार्यों के लिए स्थल का चयन उपयुक्त पाया गया।

(viii) चयनित सवाईमाधोपुर का उप स्वास्थ्य केन्द्र नया ही बनाया गया था एवं ए एन एम क्वाटर पूर्व में किराये की बिल्डिंग में था। ए एन एम क्वाटर एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र बनने से ए एन एम के गांव में रहने की सुनिश्चितता हुई थी एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र बनने से ग्राम में चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता हुई पायी गयी। इसी प्रकार ए एन एम केन्द्र में कमरा बरामदा आदि बनाने से रोगियों के बैठने के एवं कम्पाउण्डर/ए एन एम के बैठने की सुविधा उपलब्ध हुई थी। अलवर में पुलिया निर्माण से आवागमन की सुविधा बढ़ी एवं बांसवाड़ा में नाली निर्माण से सिंचाई सुविधा में वृद्धि हुई पायी गयी। सभी कार्य नवीन थे। पूर्व में इन स्थानों पर यह सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी।

(ix) चयनित पाँचों कार्यों का सर्वे तिथी को उपयोग हो रहा था एवं निर्माण कार्य का स्तर सन्तोषप्रद पाया गया। भवनों का निर्माण कार्य सन्तोषप्रद पाया गया। नाली पक्की बनी हुई थी एवं पुलिया का निर्माण कार्य अवलोकन में अच्छा पाया गया।

(x) चयनित निर्माण कार्यों पर कुल 216 श्रमिक नियोजित किये गये एवं नियोजित श्रमिकों ने कुल 533 दिन तक कार्य किया, जिनका कार्यवार विवरण निम्नानुसार पाया गया :–

मद	नियोजित श्रमिक	स्त्री	पुरूष	बी पी एल	ए पी एल
उप स्वास्थ्य केन्द्र	156	24	132	15	141
पुलिया	18	3	15	02	16
नाली	42	20	22	08	34
योग :	**216**	**47**	**169**	**25**	**191**
प्रतिशत :		**21.8**	**78.2**	**11.6**	**88.4**

(xi) नियोजित 216 श्रमिकों में 47 (21.8 प्रतिशत) स्त्री एवं 169 (78.2 प्रतिशत) पुरूषों को नियोजित किया गया।

(xii) नियोजित श्रमिकों में 25 (11.6 प्रतिशत) बी पी एल एवं 191 (88.4 प्रतिशत) ए पी एल श्रेणी के मजदूर पाये गये। सवाईमाधोपुर जिले में ए पी एल श्रेणी के मजदूरों की संख्या अधिक पायी गयी।

(xiii) नियोजित 216 श्रमिकों में 63 (29.2 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के, 112 (51.9 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के एवं 41 (19.0 प्रतिशत) अन्य जाति के श्रमिक थे। सवाईमाधोपुर में नियोजित श्रमिकों में अनुसूचित जाति, जनजाति दोनो जाति के श्रमिक लगभग समान संख्या में, अलवर में नियोजित श्रमिकों में अनुसूचित जाति एवं बांसवाड़ा में अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य पाया गया जो जिलों की जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है।

(xiv) चयनित पाँचों कार्यों पर मजदूरी का भुगतान नकद एवं 71 रूपये अथवा अधिक नियमानुसार किया हुआ पाया गया।

(xv) सर्वेक्षण के समय अतिक्रमण, स्वीकृत राशि कम होना, निर्माण के पश्चात् मरम्मत की व्यवस्था नहीं होना आदि कठिनाईयाँ पायी गयी।

3.2.2 चयनित 69 कार्यों की एकजाही प्रगति निम्नानुसार पायी गयी :–

(i) सर्वेक्षण के समय 69 में से कुल 64 कार्य पूर्ण पाये गये।

(ii) चयनित 69 कार्यों पर कुल 162.11 लाख रूपये की राशि स्वीकृत हुई।

(iii) स्वीकृति के विपरीत 156.00 (96.2 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि व्यय हुई थी।

(iv) सर्वेक्षण के समय 11 कार्यों पर नियोजित श्रमिकों की सूचना उपलब्ध नहीं हुई थी क्योंकि इन कार्यों पर श्रम का नियोजन अकाल राहत कार्यक्रम में होने से श्रम नियोजन संबंधी रिकॉर्ड कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं पाया गया। रिकॉर्ड तहसील में जमा हो गया था। 11 कार्य जिन पर श्रम नियोजन की सूचना उपलब्ध नहीं थी वे निम्नानुसार थे :–

क्र.सं.	कार्य	जिला	संख्या
1	सड़क निर्माण कार्य	जोधपुर I फलौदी II लूणी	5
2	सामुदायिक भवन	बांसवाड़ा (कुशलगढ़)	1
3	चारदीवारी	जोधपुर (लूणी)	1
4	कक्ष निर्माण	जोधपुर (लूणी)	1
5	पेयजल	जोधपुर (लूणी)	3
		योग :	**11**

चयनित 11 में से जोधपुर की लूणी पंचायत समिति के 9 एवं फलौदी के 1 स्थान पर कार्य अकाल राहत में करवाये गये थे। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में कार्य ठेके पर होने से श्रम नियोजन की सूचना उपलब्ध नहीं हो पायी।

(v) चयनित 69 में से शेष (69–11=58) स्थानों पर कुल 1897 श्रमिकों का नियोजन किया गया।

(vi) नियोजित 1897 श्रमिकों में 422 (22.2 प्रतिशत) स्त्रियाँ एवं 1475 (77.8 प्रतिशत) पुरूष थे।

(vii) नियोजित 1897 श्रमिकों में 628 (33.1 प्रतिशत) बी पी एल एवं 1269 (66.9 प्रतिशत) ए पी एल श्रमिक थे।

(viii) चयनित 69 कार्य लगभग 557 दिवस की अवधि में पूर्ण हुए। प्रति कार्य पूर्ण होने की अवधि अलग–अलग पायी गयी। सड़क निर्माण संबंधी प्रत्येक कार्य औसतन 76 दिवस, प्रत्येक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य 40 दिवस, प्रति चारदीवारी 48 दिवस, प्रत्येक कक्ष निर्माण अवधि 59 दिवस, पेयजल संबंधी कार्य पूर्ण की अवधि प्रति कार्य 42 दिवस, प्रति उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण 120 दिवस एवं नाली व पुलिया निर्माण संबंधी कार्य क्रमशः 52 एवं 120 दिवस में पूर्ण हुए। संक्षेप में स्वीकृत कार्य 42 दिवस से 4 माह की अवधि में पूर्ण हुए।

(ix) सर्वे तिथि तक चयनित 69 में से 64 कार्य पूर्ण हो गये थे। 1 सड़क निर्माण, 2 सामुदायिक भवन, 1 कमरा निर्माण एवं 1 चारदीवारी का कार्य अपूर्ण पाया गया। सड़क निर्माण संबंधी कार्य भूमि संबंधी विवाद होने, सामुदायिक भवन संबंधी कार्य बी.एस.आर. रेट बढ़ने से रूका हुआ था। शेष कार्यस्थल पर कार्य प्रगति पर था लेकिन 60 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी हुए थे। शेष कार्यों पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी होना लम्बित पाया गया।

(x) चयनित 69 में से 64 पूर्ण कार्यों में 62 कार्य सन्तोषप्रद थे एवं 61 कार्यों का सर्वे के समय उपयोग हो रहा था। तीन कार्य में दो चारदीवारी एवं 1 पेयजल संबंधी कार्य का उपयोग नहीं हो रहा था। जिनका कारण गांव वालों द्वारा निर्माण स्थल पर अतिक्रमण पाया गया।

संक्षेप में सर्वेक्षण हेतु चयनित 69 कार्यों के भौतिक सत्यापन से स्पष्ट होता है कि कार्यों का चयन उपयुक्त एवं आवश्यकतानुसार किया गया था। अधिकांश कार्य औचित्यपूर्ण समय अवधि में पूर्ण करवाये गये थे एवं कार्यों का निर्माण स्तर सन्तोषप्रद पाया गया। कार्य जो योजनान्तर्गत अपूर्ण हैं अथवा विवादास्पद हैं, विभाग उन्हें चिन्हित कर शीघ्र पूर्ण करवाने/प्रासंगिक समाधान निकाल पूर्ण करवाने का प्रयास करना चाहिये। यदि योजना के तहत स्वीकृत राशि से अथवा आगामी वर्ष में एम.पी. योजना में स्वीकृत राशि से पूर्ण करवाने के प्रयास किये जाने चाहिये एवं निर्मित सम्पत्तियों के क्षरण एवं अतिक्रमण को रोकने के लिये जिन विभागों का सम्पत्तियों का हस्तान्तरण किया जावे उन्हें एवं ग्राम पंचायत को उत्तरदायी बनाने की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। जिससे योजना के तहत् करवाये गये कार्यों की उपयोगिता अनवरत बनी रहे।

चयनित कार्यों की सर्वेक्षण तिथि की स्थिति–एक नजर में

क्र. सं.	निर्माण कार्य का प्रकार	चयनित कार्य	सर्वे तिथी को पूर्ण कार्य	स्वीकृत राशि कुल (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	नियोजित श्रमिक				औसतन कार्य पूर्ण होने की अवधि	औसतन नियोजित श्रमिक	उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी	कार्य सन्तोष प्रद	उपयोग
						महिला	पुरूष	ए पी एल	बी पी एल					
1	सड़क निर्माण	19	18	43.79	40.92	70	295	303	62	76	19	18	18	18
2	सामुदायिक भवन	13	11	45.08	44.51	83	220	182	121	40	23	11	11	11
3	चारदीवारी	10	9	19.45	17.67	93	242	156	179	48	33	9	8	7
4	कमरा निर्माण	13	12	33.80	33.05	54	287	303	38	59	26	10	12	12
5	पेयजल	9	9	7.12	6.98	75	262	134	203	42	37	8	8	8
6	उप स्वास्थ्य केन्द्र	3	3	5.58	5.58	24	132	141	15	120	52	3	3	3
7	नाली निर्माण	1	1	4.00	4.00	20	22	34	8	52	42	नहीं	1	1
8	पुलिया निर्माण	1	1	3.29	3.29	3	15	16	2	120	18	1	1	1
	योग :	**69**	**64**	**162.11**	**156.00**	**422**	**1475**	**1269**	**628**	**557**	**27**	**60**	**62**	**61**

3.3 श्रम नियोजन :

सांसद क्षेत्रीय विकास योजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया के तहत योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों के भौतिक सर्वेक्षण के साथ ही योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी एवं ठोस तथ्यों पर आधारित निष्कर्षों के लिए चयनित कार्यों पर नियोजित श्रमिकों का चयन कर निर्माण कार्य की उपयोगिता, श्रम नियोजन, मजदूरी भुगतान की स्थिति, कार्यक्रम क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों एवं चयनित गांवों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए विभिन्न अनुसूचियों एवं अवलोकन के आधार पर वस्तुस्थिति ज्ञात की गयी, जिनकी सूचना निम्नानुसार पायी गयी।

3.3.1 चयनित श्रमिक :

सर्वेक्षण हेतु चयनित कार्यों पर श्रम करने वाले 175 श्रमिकों का (प्रति चयनित ग्राम–7) चयन किया गया।

3.3.2 चयनित उत्तरदाताओं की जाति :

चयनित 175 उत्तरदाताओं में 58(33.1 प्रतिशत) उत्तरदाता अनुसूचित जाति, 50 (28.6 प्रतिशत) जनजाति एवं 67 (38.3 प्रतिशत) अन्य जातियों के थे। इससे स्पष्ट होता है कि नियोजित श्रमिकों से सभी जातियों के व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया था।

3.3.3 आयु :

नियोजित 175 श्रमिकों में 161 श्रमिक (92.0 प्रतिशत) 26–50 वर्ष की आयु के थे। 11 (6.3 प्रतिशत) 25 वर्ष से कम अथवा 25 तक एवं मात्र 3 (1.7 प्रतिशत) श्रमिक 50 वर्ष से अधिक आयु के पाये गये। अर्थात अधिकतम श्रमिकों का चयन कार्यशील एवं सक्षम आयु अवधि 26–50 में किया गया था।

3.3.4 व्यवसाय :

चयनित 175 श्रमिकों में सभी श्रमिकों का व्यवसाय मजदूरी, कृषि मजदूरी, मजदूरी के साथ ही पशुपालन आदि था।

3.3.5 चयनित 175 श्रमिकों ने सांसद क्षेत्रीय विकास योजना के तहत् करवाये गये कार्यों के लिए मजदूरी की थी एवं उन्हें योजना के तहत् ग्राम में करवाये गये विभिन्न कार्यों की पूर्ण जानकारी थी।

3.3.6 रोजगार दिवस :

चयनित 175 श्रमिकों में 16 (9.1 प्रतिशत) श्रमिकों को 10 दिवस, 53 (30.3 प्रतिशत) श्रमिकों को 10 से 20 दिवस, 33 (18.1 प्रतिशत) श्रमिकों को 20 से 30 दिवस एवं शेष 73 (41.7 प्रतिशत) को 1 से 3 माह तक का रोजगार प्राप्त हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश श्रमिकों को 30 दिवस अथवा अधिक का रोजगार प्राप्त हुआ था।

3.3.7 चयनित श्रमिकों में 152 (86.9 प्रतिशत) पुरूष एवं 23 (13.1 प्रतिशत) महिलाएँ थी। चयनित श्रमिकों में पुरूषों का प्रतिनिधित्व अधिक रहा। चयनित 175 में 156 उत्तरदाताओं ने (89.1 प्रतिशत) ने यह भी बताया कि उनके परिवार में किसी अन्य सदस्य का चयन इस योजना के तहत करवाये गये कार्यों पर मजदूरी के लिए नहीं हुआ। अर्थात योजना के तहत अधिकांश परिवारों के 1–1 सदस्य का चयन मजदूरी हेतु किया गया।

3.3.8 चयतिन 175 में 123 (70.3 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अवगत करवाया कि उन्हें योजनान्तर्गत 76 रूपये प्रति दिवस मजदूरी अथवा मजदूरी एवं गेहूँ के रूप में प्राप्त हुई। 9 श्रमिकों (5.1 प्रतिशत) को 76 रूपये से कम एवं 43 (24.6 प्रतिशत) श्रमिकों को 76 से 200 रूपये तक मजदूरी प्राप्त हुई। 139 (79.4 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार मजदूरी का भुगतान अधिकांशतः पाक्षिक पाया गया। मात्र 36 (20.6 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने भुगतान साप्ताहिक, मासिक अथवा एकमुश्त प्राप्त होना अवगत करवाया। निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि मजदूरी भुगतान पाक्षिक हुआ।

3.3.9 चयनित 175 में 172 (98.3 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को मजदूरी का भुगतान हो रहा था। अलवर जिले की मुन्डावर पंचायत समिति के मात्र 3(1.7 प्रतिशत) श्रमिकों ने अवगत करवाया कि निर्माण कार्य विवादित होने से ग्राम पंचायत द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं दिया गया था।

3.4 चयनित ग्रामों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएँ :

मूल्यांकन अध्ययन हेतु चयनित ग्रामों में योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों के भौतिक सत्यापन, कार्यों पर नियोजित श्रमिकों से योजना सम्बन्धी तथ्यों की जानकारी के साथ ही चयनित ग्रामों में समूहों से ग्राम में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी सर्वेक्षण दल द्वारा संकलित की गयी जिसमें गांवों में उपलब्ध सुविधाओं के मद्धेनजर योजना के तहत करवाये गये कार्यों की उपयोगिता एवं आवश्यकता का आंकलन किया जा सके। सर्वेक्षण हेतु कुल 45 ग्रामों का चयन किया गया था। चयनित ग्रामों की जिलेवार सूचना निम्नानुसार पायी गयी :–

क्र.सं.	जिले का नाम	चयनित पंचायत समिति	चयनित ग्रामों की संख्या
1	अलवर	बहरोड़	10
		मुन्डावर	10
2	बांसवाड़ा	तलवाड़ा	03
		कुशलगढ़	03
3	जोधपुर	फलौदी	03
		लूणी	03
4	सवाईमाधोपुर	गंगापुर	09
		सवाईमाधोपुर	4

3.5 **जनसंख्या** :

चयनित 45 ग्रामों की कुल अनुमानित आबादी 1.81 लाख थी। इनमें न्यूनतम आबादी 300 सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुरसिटी पंचायत समिति के टोटालाई ग्राम की थी एवं सर्वाधिक आबादी 10690 जोधपुर जिले के फलोदी पंचायत समिति के आऊ ग्राम की थी। चयनित 45 ग्रामों में 500 तक की आबादी वाले 4 ग्राम थे। 500 से 1000 तक की आबादी वाले 10 एवं 1000 से 5000 तक की आबादी वाले 25, 5000 से 10000 तक की आबादी वाले 5 एवं 10000 से अधिक आबादी वाला 1 ग्राम था। उपरोक्त सूचना से स्पष्ट होता है कि योजना के तहत् चयनित अधिकांश ग्राम 5000 तक की जनसंख्या वाले थे।

3.6 **जाति** :

चयनित 45 ग्रामों की 1.08 लाख की आबादी में 0.27 लाख (25.26 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 0.19 लाख (17.52 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति, 0.26 लाख (24.06 प्रतिशत) पिछड़ी जाति एवं शेष 0.36 लाख (33.16 प्रतिशत) अन्य जातियों के निवासी थे। जिलेवार (चयनित ग्रामों की) जातियों की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी।

क्र. सं.	जिला	चयनित ग्रामों की कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा	अन्य
1	अलवर	23355	6393	627	13588	2747
2	बांसवाड़ा	07264	0108	5450	1321	0385
3	जोधपुर	29783	4237	0695	निल	24851
4	सवाईमाधोपुर	47731	16575	12175	11110	7871
	योग :	**108133**	**27313 (25.26 %)**	**18947 (17.52 %)**	**26019 (24.06 %)**	**35854 (33.16 %)**

सारणी में प्राप्त सूचनानुसार अलवर जिले के चयनित ग्रामों में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 58.18 प्रतिशत का, बांसवाड़ा के चयनित ग्रामों में अनु. जनजाति 75.03 प्रतिशत, जोधपुर के ग्रामों में अन्य जातियों का 83.44 प्रतिशत एवं सवाईमाधोपुर के चयनित ग्रामों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 34.72 प्रतिशत का बाहुल्य पाया गया।

3.7 **आवास** :

चयनित 45 ग्रामों में कुल लगभग 13406 प्रतिशत घर पाये गये थे। जिनमें 2608 (19.46 प्रतिशत) कच्चे, 1790 (13.35 प्रतिशत) झौंपड़े, 9008 (67.19 प्रतिशत) पक्के आवास पाये गये। कच्चे पक्के आवासों की जिलेवार सूचना निम्नानुसार पायी गयी :–

क्र.सं.	जिला	कच्चे घर	पक्के घर	झौंपड़े	योग
1	अलवर	243	3630 (89.60 %)	178	4051
2	बांसवाड़ा	613	203 (17.00 %)	378	1194
3	जोधपुर	1157	2790 (64.14 %)	403	4350
4	सवाईमाधोपुर	595	2385 (62.58 %)	831	3811
	योग :	**2608 (19.46 %)**	**9008 (67.19 %)**	**1790 (13.35 %)**	**13406**

उपरोक्त सारणी से परिलक्षित होता है कि अलवर, जोधपुर एवं सवाईमाधोपुर जिले के चयनित ग्रामों में पक्के घर क्रमशः 89.6 प्रतिशत, 64.14 प्रतिशत एवं 62.58 प्रतिशत थे। जबकि बांसवाड़ा जिले के चयनित ग्रामों में पक्के घर मात्र 17.0 प्रतिशत थे जो जिलों के विकास की स्थितियों को ही परिलक्षित करता है। ग्रामों में कुल घरों में मात्र 17 प्रतिशत पक्के घर उन ग्रामों की पिछड़ी आर्थिक स्थिति के परिचायक भी होते हैं। बांसवाड़ा जिले के सुदूर ग्रामों में विकास का स्तर अपेक्षाकृत रूप से निम्न पाया गया।

3.8 शिक्षा सुविधाएँ :

चयनित 45 ग्रामों में से समस्त ग्रामों में राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय पाये गये। चयनित 45 ग्रामों के 60 राजकीय प्राथमिक विद्यालय थे। इनमें से 37 ग्रामों में प्राथमिक+उच्च प्राथमिक विद्यालय भी पाये गये। 23 ग्रामों में सरकारी के साथ निजी विद्यालय भी पाये गये। जिनकी जिलेवार सूचना निम्नानुसार थी :–

क्र. सं.	जिला	चयनित ग्रामों की संख्या	गांवों की संख्या जिनमें प्राथमिक विद्यालय थे		गांवों की संख्या जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय थे	
			सरकारी	निजी	सरकारी	निजी
1	अलवर	20	17	15	17	11
2	बांसवाड़ा	6	6	3	4	1
3	जोधपुर	6	6	2	5	3
4	सवाईमाधोपुर	13	13	4	11	4
	योग :	**45**	**42**	**24**	**37**	**19**

प्राप्त सूचना के अनुसार चयनित 45 ग्रामों में से 42 ग्रामों में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 24 ग्रामों में सरकारी के साथ ही निजी विद्यालय, 37 ग्रामों में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 19 ग्रामों में राजकीय के साथ ही निजी उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के विद्यालय भी उपलब्ध थे। बांसवाड़ा जिले में निजी विद्यालयों की संख्या सबसे कम एवं अलवर में सर्वाधिक पायी गयी। समस्त ग्रामों में राजकीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक स्तर का विद्यालय उपलब्ध था। अर्थात राज्य के सुदूर ग्रामों में भी प्राथमिक स्तर का शिक्षा का केन्द्र उपलब्ध था। गांवों में आबादी के अनुसार 1 या अधिक स्कूल थे। बड़े ग्रामों में 10 तक स्कूल भी पाये गये।

क्र. सं.	जिला	कुल ग्राम	एक विद्यालय	दो विद्यालय (राजकीय +निजी)	2–5 विद्यालय वाले ग्राम (राजकीय+निजी)	5 से अधिक विद्यालय वाले ग्राम (राजकीय+निजी)
1	अलवर	20	2	1	13	4
2	बांसवाड़ा	6	1	2	3	—
3	जोधपुर	6	—	1	3	2
4	सवाईमाधोपुर	13	2	7	3	1
	योग :	**45**	**5**	**11**	**22**	**7**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि चयनित 45 ग्रामों में से 22 लगभग 50 प्रतिशत ग्रामों में 2 से 5 तक विद्यालय थे। मात्र 5 ग्राम ऐसे थे जिनमें सिर्फ 1 विद्यालय था। 11 ग्रामों में 2 विद्यालय थे एवं 7 ग्रामों में 5 से भी अधिक विद्यालय उपलब्ध थे। कुल विद्यालयों की संख्या की दृष्टि से देखा जाये तो जिलेवार स्थिति निम्नानुसार पायी गयी :–

क्र. सं.	जिला	चयनित ग्राम	प्राथमिक विद्यालय (राजकीय+निजी)	उच्च प्राथमिक विद्यालय (राजकीय+निजी)	योग	औसत विद्यालय
1	अलवर	20	39	36	75	3.7
2	बांसवाड़ा	6	10	5	15	2.5
3	जोधपुर	6	22	15	37	6.17
4	सवाईमाधोपुर	13	22	16	38	2.9
	योग :	**45**	**93**	**72**	**165**	**3.67**

प्राप्त सूचना के अनुसार चयनित 45 ग्रामों में कुल 165 विद्यालय थे। जिलेवार ग्रामों में स्थित विद्यालयों का औसत देखा जाये तो जोधपुर जिले में प्रति ग्राम औसत विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक एवं बांसवाड़ा में न्यूनतम पायी गयी। अतः सुझाव दिया जाता है कि जिला योजना की एक प्रति सांसद महोदय को भी उपलब्ध करवा दी जाय क्योंकि क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भी कार्य स्वीकृत किया जा सके।

3.9 **चिकित्सा सुविधा** :

चयनित 45 ग्रामों में से 33 ग्रामों में सरकारी चिकित्सा केन्द्र की सुविधाएँ उपलब्ध थी। 15 ग्रामों में प्राइवेट चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध थी। 8 ग्राम ऐसे थे जिनमें सरकारी/निजी किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जिलेवार सूचना निम्नानुसार पायी गयी :–

क्र. स.	जिला	ग्राम	ग्राम की संख्या जहाँ विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध थी			
			चिकित्सा सुविधा सरकारी	प्राइवेट	दोनों प्रकार की सुविधाएँ	मात्र प्राईवेट
1	अलवर	20	13	10	6	4
2	बांसवाड़ा	6	6	2	2	–
3	जोधपुर	6	5	1	1	–
4	सवाईमाधोपुर	13	9	2	2	–
	योग :	**45**	**33**	**15**	**11**	**4**

ग्रामों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 45 में से 11 ग्रामों में राजकीय एवं प्राइवेट दोनों प्रकार की सुविधाएँ पायी गयी। जिनमें अलवर जिले में सर्वाधिक 6 ग्रामों में दोनों प्रकार की सुविधाएँ पायी गयी। अलवर जिले की मुण्डावर पंचायत समिति के ही 4 ग्राम ऐसे थे जिनमें प्राइवेट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध थी। इनमें 2 ग्राम क्रमशः मिहालीखुर्द एवं मिहाली कलां की आबादी भी अनुमानतः 1000 से अधिक बतायी गयी थी। यदि नियमानुसार इन ग्रामों में राजकीय स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलना सम्भव हो तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार 8 ग्राम ऐसे पाये गये जिनमें किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इनकी सूची निम्नानुसार थी।

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम	आबादी	चिकित्सा सुविधा सरकारी /प्राइवेट उपलब्ध नहीं
1	अलवर	बहरोड	थामरपुर	810	निल
			सरविंदरपुरा	625	निल
			तलवाड़	702	निल
2	जोधपुर	लूणी	मगतालनी	1134	निल
3	सवाईमाधोपुर	गंगापुरसिटी	उसरी	3000	निल
			अहमदपुर	1100	निल
			टोटालाई	300	निल
			जयसिंहपुरा	2000	निल

सरकार द्वारा 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में राजकीय चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के प्रयास करने चाहिये एवं उस क्षेत्र से जन प्रतिनिधियों को भी इन आवश्यक सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिये।

3.10 **बिजली** :

चयनित 45 ग्रामों में से 45 शत प्रतिशत ग्रामों में बिजली के कनेक्शन थे। लेकिन ग्रामों में घरों में बिजली के कनेक्शन की उपलब्धता में अन्तर था। गांवों में घरों में बिजली कनेक्शन की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी :–

गांवों की संख्या/घरों में बिजली की उपलब्धता

क्र.सं.	जिला	20 प्रतिशत तक	20 से 40 प्रतिशत तक	40 से 60 प्रतिशत तक	60 से 80 प्रतिशत तक	80 प्रतिशत से अधिक	कुल ग्राम
1	अलवर	–	–	1	12	7	20
2	बांसवाड़ा	3	–	–	3	–	6
3	जोधपुर	–	3	–	–	3	6
4	सवाईमाधोपुर	–	4	5	3	1	13
	योग :	**3**	**7**	**6**	**18**	**11**	**45**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अलवर जिले के 20 ग्रामों में से 19 ग्रामों के 60 प्रतिशत से अधिक घरों में बिजली के कनेक्शन पाये गये। बांसवाड़ा जिले के 6 में से 3 ग्रामों में 20 प्रतिशत तक घरों में एवं 3 ग्रामों में 60 से 80 प्रतिशत घरों में बिजली के कनेक्शन थे। इसी प्रकार जोधपुर जिले के 3 ग्रामों में 40 प्रतिशत तक एवं 3 में 80 प्रतिशत तक से अधिक घरों में एवं सवाईमाधोपुर के 4 ग्रामों में 40 प्रतिशत तक, 5 ग्रामों में 60 प्रतिशत के, 3 ग्रामों में 80 प्रतिशत तक एवं 1 ग्राम में 80 प्रतिशत से अधिक घरों में बिजली की सुविधा थी। बिजली सुविधा की दृष्टि से अलवर जिले के ग्रामों में सर्वाधिक घरों में बिजली कनेक्शन पाये गये। समग्र रूप से चयनित गांवों में अधिकांश घरों में बिजली की सुविधाऐं उपलब्ध थी।

3.11 **पेयजल** :

चयनित 45 में से 45 ही ग्रामों में पेयजल हेतु हैण्डपम्प, ट्यूबवेल अथवा पाइपलाइन की सुविधाएँ उपलब्ध थी। प्रत्येक ग्राम में पेयजल की एक या एक से अधिक सुविधा उपलब्ध थी।

जिला	ग्राम	ग्राम जहाँ पेयजल की एक सुविधा हैण्डपम्प उपलब्ध है	ग्राम जहाँ ट्यूबवेल उपलब्ध है	ग्राम जहाँ हैण्डपम्प एवं ट्यूबवेल दोनों उपलब्ध हैं	पाइपलाइन + अन्य	गांव जहाँ एक से ज्यादा सुविधाएँ उपलब्ध हैं
अलवर	20	20	20	20	20	20
बांसवाड़ा	6	6	3	3	6	6
जोधपुर	6	1	3	—	5	3
सवाईमाधोपुर	13	13	13	13	2	13
योग :	**45**	**40**	**39**	**36**	**33**	**42**

नोट : ग्रामों में 1 से अधिक सुविधा होने से कुल संख्या अधिक है।

उपरोक्त सूचना से स्पष्ट होता है कि चयनित 45 में से 42 ग्रामों में पेयजल की एक या एक से अधिक सुविधा उपलब्ध थी। तीन ग्राम क्रमशः आऊ (जिला जोधपुर, पंचायत समिति फलोदी) ग्राम मगतालनी एवं खेजड़ीकलां (जिला जोधपुर पंचायत समिति, लूणी) में पेयजल की एक–एक सुविधा ट्यूबवैल अथवा पाइपलाइन उपलब्ध थी। अलवर जिले के चयनित 20 ही ग्रामों में सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध पायी गयी। बांसवाड़ा एवं सवाईमाधोपुर के क्रमशः 6 एवं 13 ही ग्रामों में एक से अधिक हैण्डपम्प+पाइपलाइन, हैण्डपम्प+ट्यूबवैल, हैण्डपम्प+ट्यूबवेल+पाइपलाइन सुविधाएँ पायी गयी थी। संक्षेप में ग्रामों में सरकारी प्रयासों से पेयजल उपलब्ध करवाने के प्रयासों के फलस्वरूप सभी ग्रामों में पेयजल की सुविधाएँ उपलब्ध थी।

चयनित जिलों में उपलब्ध कुल हैण्डपम्प, ट्यूबवैल, पाइपलाइन की सूचना निम्नानुसार पायी गयी।

चयनित ग्रामों में कुल 573 हैण्डपम्प, 99 ट्यूबवैल एवं 383 पेयजल की अन्य सुविधाऐं उपलब्ध पायी गयी। जिनकी जिलेवार स्थिति निम्नानुसार पायी गयी।

जिला	कुल ग्राम	हैण्डपम्प	ट्यूबवेल	अन्य	योग	प्रति ग्राम औसत पेयजल साधन
अलवर	20	362	41	344	747	37
बांसवाड़ा	6	61	7	22	90	15
जोधपुर	6	7	21	15	43	7
सवाईमाधोपुर	13	145	30	2	177	14
योग :	**45**	**575**	**99**	**383**	**1057**	**23**

उपरोक्त सूचना से स्पष्ट होता है कि अलवर जिले में पेयजल की सर्वाधिक सुविधाएँ उपलब्ध थी। अलवर जिले में प्रति ग्राम औसत 37 पेयजल सुविधाएँ उपलब्ध थी। जोधपुर में औसतन 7, सवाईमाधोपुर में 14 एवं बांसवाड़ा में 15 सुविधाएँ प्रतिग्राम औसतन उपलब्ध थी। अलवर जिला पेयजल सुविधाओं में अन्य जिलों की तुलना में अधिक सम्पन्न था। ग्रामों में पेयजल के प्रचुर साधन उपलब्ध थे।

3.12 मुख्य सड़क से दूरी :

चयनित 45 ग्रामों में 34 ग्रामों की मुख्य सड़क से दूरी 2 किलोमीटर तक, 4 ग्रामों की 2 से 4 किलोमीटर तक, 4 की 4 से 6 किलोमीटर तक एवं तीन ग्रामों की मुख्य सड़क से दूरी 6 किलोमीटर तक अथवा अधिक थी। 6 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले तीनों ग्राम सवाईमाधोपुर जिले के थे।

3.13 घरों में उपलब्ध सुविधाएँ :

चयनित 45 ग्रामों के 13406 आवासों में लगभग 4669 टी.वी. (34.83 प्रतिशत), 4149 (30.95 प्रतिशत) मोटरसाइकिल, 179 (1.33 प्रतिशत) कारें, 2780 (20.74 प्रतिशत) गैस चूल्हे एवं 2106 (15.7 प्रतिशत) लेण्डलाइन फोन उपलब्ध थे। जिलेवार स्थिति निम्नानुसार पायी गयी :–

क्र. सं.	जिला	कुल घर	टी.वी.	मोटर साइकिल	कार	गैस चूल्हा	टेलीफोन
1	अलवर	4051	2129 (52.55%)	1635 (40.36%)	78 (1.92%)	1975 (48.75%)	1591 (39.27%)
2	बांसवाड़ा	1194	249 (20.85%)	155 (12.98%)	5 (0.42%)	103 (8.63%)	60 (5.02%)
3	जोधपुर	4350	1386 (31.86%)	1149 (26.41%)	69 (1.59%)	277 (6.37%)	218 (5.01%)
4	सवाईमाधोपुर	3811	905 (23.75%)	1210 (31.75%)	27 (0.71%)	425 (11.15%)	237 (6.22%)
	योग :	**13406**	**4669 (34.83%)**	**4149 (30.95%)**	**179 (1.33%)**	**2780 (20.74%)**	**2106 (15.71%)**

उपरोक्त सारणी में संकलित सूचनानुसार अलवर जिले के ग्राम में घर अन्य जिलों की तुलना में अधिक सुविधा सम्पन्न थे जबकि बांसवाड़ा में सुविधाओं का स्तर अन्य जिलों की तुलना में न्यूनतम था।

3.14 विभिन्न योजनाओं के तहत करवाये गये कार्य :

चयनित जिलों में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक राज्य वित्त आयोग, विधायक क्षेत्रीय विकास योजना, स्वरोजगार योजना, टी.एफ.सी., गुरू गोलवलकर अकाल राहत, सम योजना, बारहवें वित्त आयोग एवं सांसद क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत विभिन्न विकासीय कार्य करवाये गये, जिनकी जिलेवार सूचना निम्नानुसार है :–

विभिन्न योजनाओं के तहत् करवाये गये कार्यों का विवरण
(2005–06 से 2007–08 तक)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अलवर	बांसवाड़ा	जोधपुर	सवाईमाधोपुर	योग
1	ईंट खरन्जा/नाली निर्माण	28	3	–	–	31
2	सी.सी. रोड़ सड़क निर्माण	33	13	12	2	60
3	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	1	1	3	–	5
4	कमरा निर्माण	6	1	5	10	22
5	चारदीवारी निर्माण	7	2	2	4	15
6	पेयजल सुविधा (कुआ/हैण्डपम्प)	3	3	5	2	13
7	जोहड़ खुदाई/पाइपलाईन	3	–	–	–	3
8	सामुदायिक भवन निर्माण /उप स्वास्थ्य भवन	2	2	8	6	18
9	अनाज बीज गोदाम	–	1	–	–	1
10	शौचालय निर्माण	–	–	1	–	1
11	पंचायत भवन निर्माण	–	–	–	1	1
12	पुलिया निर्माण	1	–	–	–	1
13	सार्वजनिक टांका	–	–	2	–	2
14	पशु चिकित्सालय	–	–	–	1	1
	योग :	**84**	**26**	**38**	**26**	**174**

मूल्यांकन दल द्वारा गांवों में सामूहिक चर्चा से प्राप्त सूचनानुसार चयनित 45 गांवों में विभिन्न योजनाओं के तहत् वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कुल 174 कार्य करवाये गये थे। जिनमें सर्वाधिक 60 सी.सी.रोड़, 31 ईंट खरन्जा निर्माण आदि के संबंध में थे। चयनित सड़क निर्माण संबंधी कार्यों का चयन ग्रामवासियों के अनुसार उपयुक्त पाया गया था एवं इन कार्यों से ग्राम में आवागमन की सुविधा में वृद्धि हुई

थी। बारिश में आने जाने में कीचड़ वगैरह होने से काफी परेशानी होती थी। सड़क निर्माण से ग्रामवासियों की सुविधा में इजाफा हुआ था। ईंट, खरन्जा, नाली निर्माण संबंधी कार्य के लिए ग्रामवासियों की राय अधिक अनुकूल नहीं पायी गयी। ग्रामवासियों की राय में ईंट, खरन्जा, नाली निर्माण कार्यों की अधिक आवश्यकता नहीं थी एवं उनका स्थान चयन भी उपयुक्त नहीं बताया गया। कुछ स्थानों पर ग्रेवल सड़क निर्माण में स्थान चयन विवादित होने से कार्य अनुपयोगी बताये गये। शेष सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, पेयजल संबंधी कार्य, कक्ष निर्माण, चारदीवारी, कूप निर्माण, एम.एल.ए. क्वाटर संबंधी कार्य आदि उपयोगी एवं आवश्यक बताये गये। ग्रामवासियों की राय में गांवों में पहले कच्चे रास्ते थे जिनमें गड़ढ़े हो जाते थे। सड़कें बनने से आने जाने की सुविधा में वृद्धि हुई थी। जी.एल.आर. टंकी बनने से गांव में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हुयी है। सामुदायिक भवन, एम.एल.ए. क्वाटर, पशु चिकित्सालय भवन बनने से गांव में सामाजिक स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में सुधार हुआ बताया गया। चारदीवारी बनने से भवनों की अतिक्रमण एवं आवारा पशुओं की सुरक्षा हुई बतायी गयी। विद्यालयों में कक्ष निर्माण से बच्चों को बैठने–पढ़ने की सुविधाएँ बढ़ी थी। संक्षेप में विभिन्न योजनाओं के तहत् गांवों में करवाये गये कार्य उपयुक्त, आवश्यक एवं उपयोगी पाये गये।

निष्कर्ष :

चयनित कार्यों के भौतिक सत्यापन, मूल्यांकन दल के सर्वे, चयनित श्रमिकों से भरी अनुसूचियों से प्राप्त सूचना, जन प्रतिनिधियों के अभिमतानुसार योजना के तहत् करवाये गये अधिकांश कार्य उपयोगी पाये गये। कार्यों के निर्माण से ग्राम में उपलब्ध चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा, पशु स्वास्थ्य आदि सेवाओं के स्तर में सुधार हुआ था। सड़कों के निर्माण से आवागमन की सुविधा में वृद्धि हुई थी। संक्षेप में योजना के तहत करवाये गये आवश्यकता के अनुरूप जन उपयोगी एवं उपयुक्त पाये गये। अपवादस्वरूप चयनित 69 कार्यों में 5 कार्य सर्वे तिथि को अपूर्ण पाये गये। जिनमें स्थान विवादित होना, अतिक्रमण होना आदि कारण पाये गये। दो स्थानों पर एक तरफ चारदीवारी नहीं होने से बनी हुई चारदीवारी का उपयोग प्रासंगिक नहीं रह गया था। सड़कों, श्मशान घाट पर अतिक्रमण, सामुदायिक भवन दरवाजे नहीं लगे होना आदि की कठिनाई पायी गयी। परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण के पश्चात् संबंधित विभाग एवं ग्राम पंचायत द्वारा सम्पत्तियों के संधारण की पुख्ता व्यवस्था की जाना, स्वीकृत कार्यों पर व्यय राशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाना, सम्पत्ति सृजन के पश्चात् रखरखाव हेतु बजट की व्यवस्था निर्धारित कर करवाये गये कार्यों की उपयोगिता को अक्षुण बनाये रखना प्रासंगिक होगा।

———————

परिशिष्ट–1

वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक आवंटन/व्यय

क्र. सं.	जिले का नाम	01.04. 2005 को शेष	आवंटन				व्यय				
			2005–06	2006–07	2007–08	कुल	2005–06	2006–07	2007–08	कुल	प्रतिशत
1	अजमेर	410.35	400.00	400.00	400.00	1610.35	569.78	486.82	443.53	1500.13	93.16
2	जयपुर	639.88	800.00	500.00	1200.00	3139.88	206.98	244.65	207.60	659.23	21.00
3	भरतपुर	305.99	600.00	400.00	600.00	1905.99	272.07	155.80	187.90	615.77	32.31
4	जोधपुर	494.49	400.00	431.19	500.00	1825.68	339.73	600.34	405.60	1345.67	73.71
5	बाड़मेर	292.14	300.00	600.00	400.00	1592.14	585.00	620.10	571.17	1776.27	111.56
6	झुन्झुनुं	315.37	500.00	200.00	500.00	1515.37	449.15	448.10	410.32	1307.57	86.29
7	भीलवाड़ा	227.48	400.00	300.00	500.00	1427.48	469.92	251.05	384.54	1105.51	77.44
8	उदयपुर	217.23	400.00	400.00	400.00	1417.23	185.28	203.95	205.00	594.23	41.93
9	बीकानेर	298.6	400.00	200.00	200.00	1098.60	190.16	240.35	208.48	638.99	58.16
10	सवाईमाधोपुर	368.24	200.00	200.00	200.00	968.24	99.79	267.00	200.72	567.51	58.61
11	टोंक	186.69	100.00	200.00	300.00	786.69	219.24	222.93	225.36	667.53	84.85
12	अलवर	184.04	200.00	200.00	200.00	784.04	485.80	934.32	1060.38	2480.50	316.37
13	दौसा	158.77	200.00	100.00	300.00	758.77	235.20	195.08	300.10	730.38	96.26
14	कोटा	154.35	200.00	200.00	200.00	754.35	221.12	290.00	166.13	677.25	89.78
15	जालौर	137.85	200.00	200.00	200.00	737.85	431.44	369.65	399.66	1200.75	162.74
16	चित्तौड़गढ़	119.63	200.00	200.00	200.00	719.63	323.32	431.61	359.94	1114.87	154.92
17	बांसवाड़ा	118.16	200.00	200.00	200.00	718.16	196.29	309.20	195.62	701.11	97.63
18	सीकर	111.31	200.00	200.00	200.00	711.31	238.57	196.66	202.07	637.30	89.60
19	झालावाड़	111.12	200.00	200.00	200.00	711.12	205.92	180.54	339.28	725.74	102.06
20	नागौर	84.62	200.00	200.00	200.00	684.62	259.27	123.48	271.26	654.01	95.53
21	पाली	67.37	200.00	200.00	200.00	667.37	222.56	168.91	202.76	594.23	89.04
22	चुरू	62.33	200.00	200.00	200.00	662.33	119.52	214.51	361.76	695.79	105.05
23	गंगानगर	46.56	200.00	200.00	200.00	646.56	492.77	433.12	288.66	1214.55	187.85
24	करौली	169.75	200.00	0.00	0.00	369.75	266.00	98.20	13.28	377.48	102.09
	योग :	**5282.32**	**7100.00**	**6131.19**	**7700.00**	**26213.51**	**7284.88**	**7686.37**	**7611.12**	**22582.37**	**86.15**

(परिशिष्ट–II)

करवाये गये कार्यों की विस्तृत सूचना

क्र. सं.	चयनित जिला	अनुशंषाकर्ता का नाम	ग्राम का ग्राम	स्थान/विद्यालय का नाम	कार्य स्वीकृति माह/वर्ष	कार्य पूर्ण माह/वर्ष
1	अलवर	श्री करण सिंह यादव	सिहोलीकला	राज उ.प्रा.विद्यालय, सिहोलीकला	जनवरी 2008	मार्च 2008
2	जोधपुर	श्री जसवन्त सिंह विश्नोई, एम.पी.	गुढ़ा विश्नोई (लूणी)	राज. उ. प्रा. विद्यालय गुढ़ा विश्नोई में हॉल मय प्याऊ	मार्च 2006	जून 2006
3	जोधपुर	श्री नारायण सिंह माणकलाव (राज्यसभा)	आऊ (फलोदी)	राज. सीनियर माध्यमिक विद्यालय (आऊ) में 2 हॉल मय बरामदा	जून, 2007	जुलाई, 2007
4	जोधपुर	श्री जसवन्त सिंह विश्नोई (एम.पी.)	बामजू (फलोदी)	राज. माध्यमिक विद्यालय बामजू में भवन निर्माण	जून, 2007	अक्टूबर, 2007
5	जोधपुर	श्री नारायण सिंह माणकलाव	ग्राम बामजू	राज. माध्यमिक विद्यालय बामजू में कमरा निर्माण	फरवरी, 2007	जुलाई, 2007
6	सवाईमाधोपुर	श्री नमोनारायण मीणा	सूरवाल (सवाईमाधोपुर)	राज. माध्यमिक विद्यालय सरवाल में बरामदा	जनवरी 2007	जून, 2007
7	सवाईमाधोपुर	श्री नमोनारायण मीणा	सूरवाल (सवाईमाधोपुर)	राज. पशु चिकित्सालय सरवाल से कमरा/बरामदा	फरवरी, 2007	जनवरी, 2008
8	सवाईमाधोपुर	श्री नमोनारायण मीणा	चकेरी (सवाईमाधोपुर)	राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय चकेरी में कमरा मय बरामदा	एन.आर.	एन.आर.
9	सवाईमाधोपुर	श्री नमोनारायण मीणा	शवल (सवाईमाधोपुर)	राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय शवल में कमरा/ बरामदा	जनवरी, 2006	मार्च, 2006
10	सवाईमाधोपुर	श्री नमोनारायण मीणा	मच्छीपुरा (गंगापुरसिटी)	राज. मा. विद्यालय, मच्छीपुरा में कमरा मय बरामदा	फरवरी, 2006	अप्रेल, 2007
11	सवाईमाधोपुर	श्री नमोनारायण मीणा	गोवड़ीकला (गंगापुरसिटी)	राज. उ.प्रा.वि. गावड़ी कला में कमरा मय बरामदा निर्माण	नवम्बर, 2005	मार्च, 2006
12	सवाईमाधोपुर	श्री मूलचन्द मीणा (राज्यसभा)	खूंटेला (गंगापुरसिटी)	राज. मा. विद्यालय, खूंटला में कमरा निर्माण	अक्टूबर, 2005	मार्च, 2006
13	सवाईमाधोपुर	श्री नमोनारायण मीणा	खूंटेला (गंगापुरसिटी)	राज. मा. विद्यालय, खूंटला में कमरा निर्माण	जून, 2005	अक्टूबर, 2005